17वीं वार्षिक प्रतिवेदन

2016-17

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

सीजीटीएमएसई

मानचित्र में छवि केवल संदर्भ के लिए है और मानचित्र स्केल पर नही है।

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रेषण पत्र	02
2.	अध्यक्ष का संदेश	03
3.	न्यासी मंडल यथा नवम्बर 01, 2017	04
4.	2016–17 के मुख्य आकर्षण	06
5.	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष में सी.जी.टी.एम.एस.ई. के कामकाज की रिपोर्ट	10
6.	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	38
7.	तुलन–पत्र और लेखा विवरण	39

प्रेषण पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट,
1002–1003, नमन सेंटर, 10वां तल,
सी–31, जी–ब्लाक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुम्बई – 400051.

02 अगस्त, 2017

प्रति
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार,
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय,
निर्माण भवन, सातवाँ तल, ए विंग,
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली – 110108

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय :
सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग,
लखनऊ – 226001

प्रिय महोदय,

भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (अवस्थापक) द्वारा निष्पादित ट्रस्ट की घोषणा के खण्ड 14.2 के निबंधनानुसार, मैं निम्नलिखित दस्तावेज एतद्वारा अग्रेषित कर रहा हूँ।

(i) 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित ट्रस्ट के लेखापरीक्षित लेखा व लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, एवं

(ii) 31 मार्च, 2017 को समाप्ति अवधि हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋण गारंटी फण्ड ट्रस्ट के कार्यकलापों पर रिपोर्ट की प्रतिलिपि

भवदीय

ह/-
(प्रदीप ए. मालगांवकर)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुम्बई

अध्यक्ष का वक्तव्य

अपनी स्थापना से 17 वर्ष के जीवनकाल में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने स्वयं को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को संपार्श्विक प्रतिभूति से मुक्त ऋण उपलब्ध कराने में मददगार संस्था के रूप में सुस्थापित किया है।

ट्रस्ट ने वित्तवर्ष 2016–17 में ₹1,25,000 करोड़ से अधिक के कुल ऋण के प्रति 25 लाख से अधिक गारंटियों का अनुमोदन प्रदान कर एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है। सीजीटीएमएसई ने इस स्तर तक पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है और इसके समस्त परिचालन अब ऑनलाइन हैं। अपनी परिचालनगत प्रक्रियाओं में सुधार करने तथा अपनी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए, ट्रस्ट ने अपनी प्रौद्योगिकी और अधिक उन्नत बनाई है, ताकि दक्षता बढ़ाई जा सके और ग्राहक सेवा बेहतर की जा सके।

वित्तवर्ष 2016–17 के दौरान, ट्रस्ट ने ₹19,931 करोड़ की राशि के कुल 4,52,127 गारंटी अनुमोदन दिए। संचयी रूप में, 31 मार्च, 2017 तक, 27,72,744 खातों के लिए ₹1,28,787 करोड़ के गारंटी अनुमोदन दिए गए।

यह ध्यान देने योग्य है कि एमएसई क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता पर सीजीटीएमएसई का सकारात्मक प्रभाव स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने इसकी समूह–निधि के प्रति प्रतिबद्धता मौजूदा ₹2,500 करोड़ से बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ कर दी है। ट्रस्ट की ₹ 5,000 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिबद्ध समूह–निधि का अंशदान पूर्णतः भारत सरकार करेगी।

सीजीटीएमएसई सदैव ही क्षेत्र की जरूरतों के प्रति सजग और सक्रिय रहा है। 31 दिसंबर, 2016 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, ट्रस्ट ने अपनी ऋण गारंटी योजना की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति उधारकर्ता गारंटी सुरक्षा के लिए पात्र ऋण राशि ₹100 लाख से बढ़ाकर ₹200 लाख कर दी। एसएमई क्षेत्र की सेवा में अपनी पहुँच के विस्तार के उपाय के रूप में, ट्रस्ट ने चुनिंदा गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए नए गारंटी उत्पाद तैयार किए।

सीजीटीएमएसई पूरे विश्व में समान गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के बीच विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान को सदैव प्रोत्साहन देता रहा है। वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्फेडरेशन (एसीएसआईसी) के सदस्यों के साथ सक्रिय विचार–विनिमय किया। एसीएसआईसी की सदस्य और इंडोनेशिया में राज्य के स्वामित्व वाली सबसे बड़ी अल्प ऋण गारंटी कंपनी "जामक्रिंडों" के एक दल तथा इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अन्य प्रतिनिधियों ने अनुभव बाँटने के उद्देश्य से सीजीटीएमएसई का दौरा किया। जामक्रिंडों के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया, ताकि भविष्य में भी नियमित रूप से सार्थक विचार–विनिमय होता रहे और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान–प्रदान हो सके।

प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के अधिकारियों में बेहतर समझ विकसित करने तथा प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के परिचालन अधिकारियों को योजना के पहलुओं से परिचित कराने के अपने कार्य के हिस्से के रूप में, सीजीटीएमएसई ने विभिन्न केंद्रों पर अपनी सदस्य प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के अधिकारियों के लिए 14 जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित कीं। यह एक सतत कार्यक्रम है।

मुझे आशा है कि वित्तीय परिवेश में सीजीटीएमएसई द्वारा निभाई जा रही समर्थकारक की भूमिका नई पीढ़ी के उद्यमियों को उनकी उद्यम यात्रा में लाभान्वित करती रहेगी। सीजीटीएमएसई की यह भूमिका भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, समस्त सदस्य प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भागीदार एजेंसियों के समर्थन एवं सक्रिय सहयोग के बिना कदापि संभव नहीं हो सकती थी। सभी हितधारकों के समर्पित सहयोग के लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि इनके सतत एवं सक्रिय सहयोग से सीजीटीएमएसई नई ऊँचाइयों तक पहुँचेगा।

सादर

ह/-

मोहम्मद मुस्तफा, भा.प्र.से.
अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई

स्थान : मुंबई
दिनांक : सितंबर 22, 2017

सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल (01 नवम्बर, 2017 को स्थिति)

श्री मोहम्मद मुस्तफा, भाप्रसे
अध्यक्ष (पदेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय : "सिडबी टावर",
15, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

श्री राम मोहन मिश्रा, भाप्रसे
उपाध्यक्ष (पदेन)
अपर सचिव व विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार, 'ए' विंग, सातवाँ तल,
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली–110108

श्री राजीव ऋषि,
सदस्य (पद–पदेन),
अध्यक्ष, इंडियन बैंक एसोसिएशन और
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
चंदर मुख, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई–400051

श्री सुबोध कुमार, सदस्य सचिव
प्रमुख कार्यकारी अधिकारी
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट,
1002–1003, नमन सेंटर, 10वां तल,
सी–31, जी–ब्लाक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुम्बई–400051

पेरूसहान यूमम जमिनन क्रेडिट इंडोनेशिया (पेरूम जमक्रिन्डो) के साथ एमओयू हस्ताक्षर समारोह

CGTMSE

2016–17 के मुख्य आकर्षण

Plan
Do
Check
Act
$$$
Success
100%
IDEA
Solution
Research
Vision
Idea
Team
Target
A+B = C²+CX² / 3rx6
ARQ
1+2 — CBC
40%
10%
30%
50%
35%
70%
0%
68%
Target
Production
Key
A
B
C
D
E
F
G

2016–17 के मुख्य आकर्षण

मूल निधि का अंशदान (₹ करोड़)

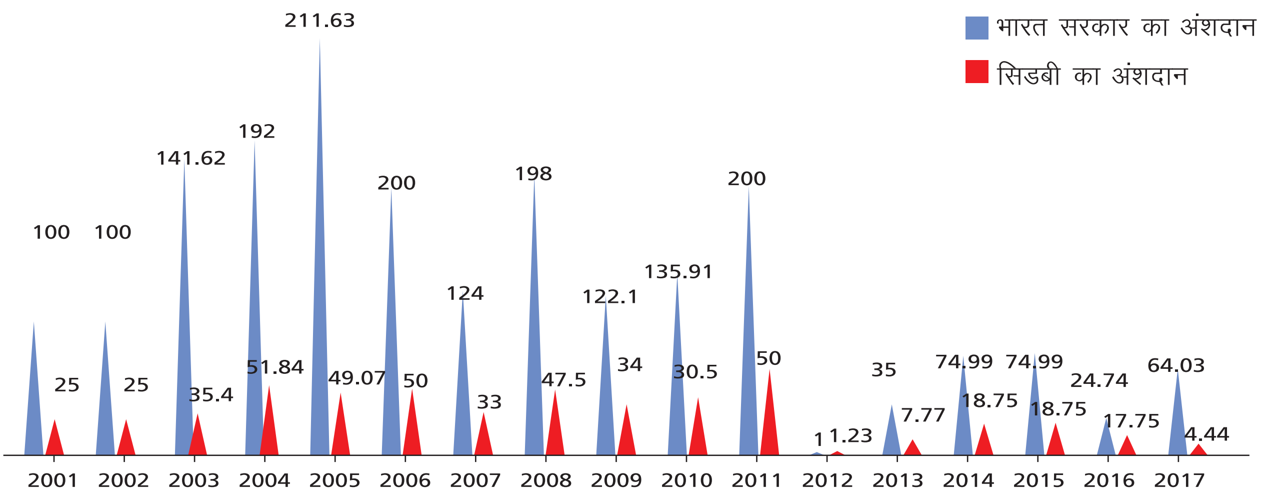

31 मार्च, 2017 को ऋणदात्री संस्थाओं की संरचना

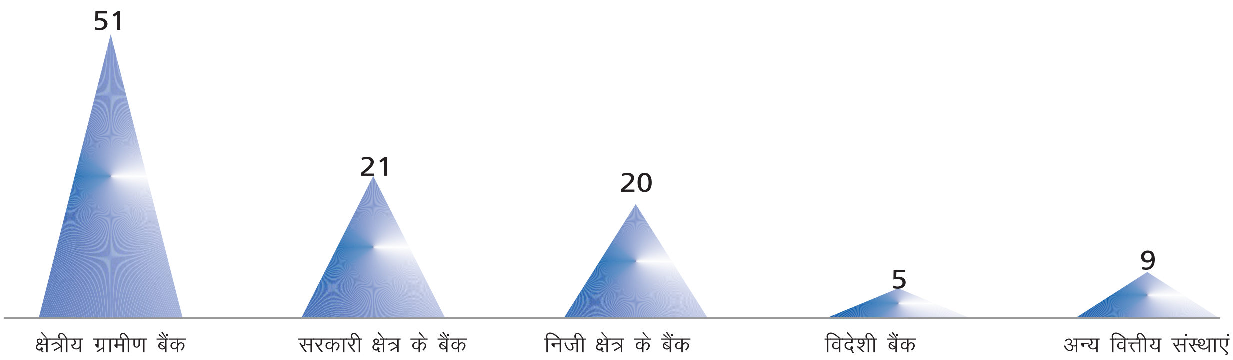

अनुमोदित गारंटियों की संचयी राशि (₹ करोड़)

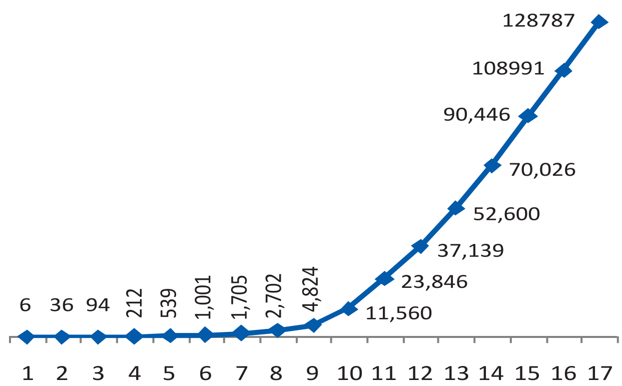

अनुमोदित गारंटियों की वर्षवार राशियाँ (₹ करोड़)

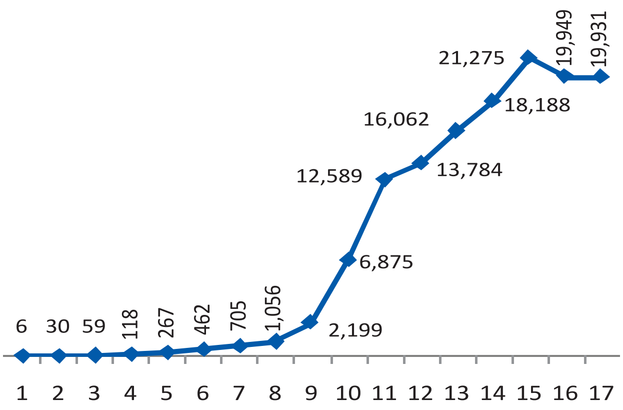

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान, शीर्षस्थ 5 सदस्य ऋणदात्री संस्थावार अनुमोदनों की संख्या तथा कुल अनुमोदनों का प्रतिशत

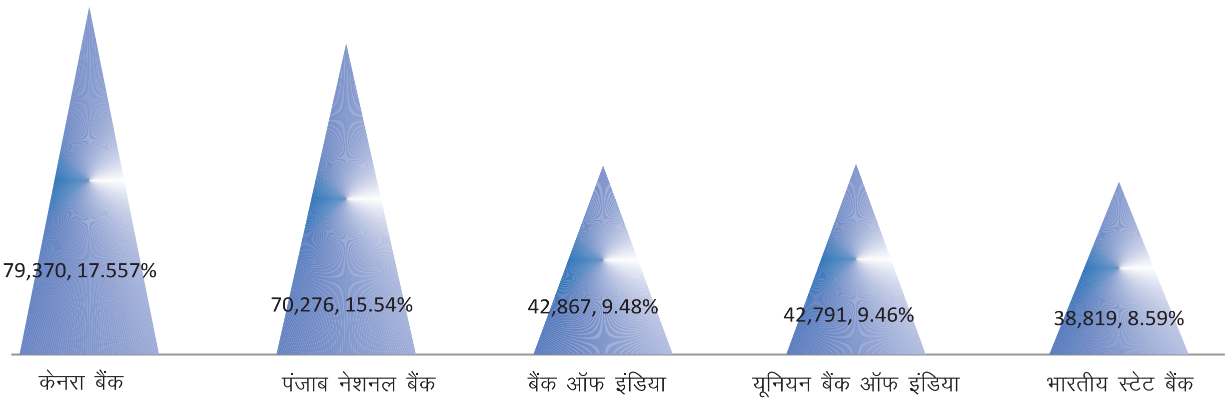

वित्तीय वर्ष 2017 में सदस्य ऋणदात्री संस्थावार अनुमोदनों (राशि ₹ करोड़ में) की संख्या तथा कुल अनुमोदित राशि का प्रतिशत

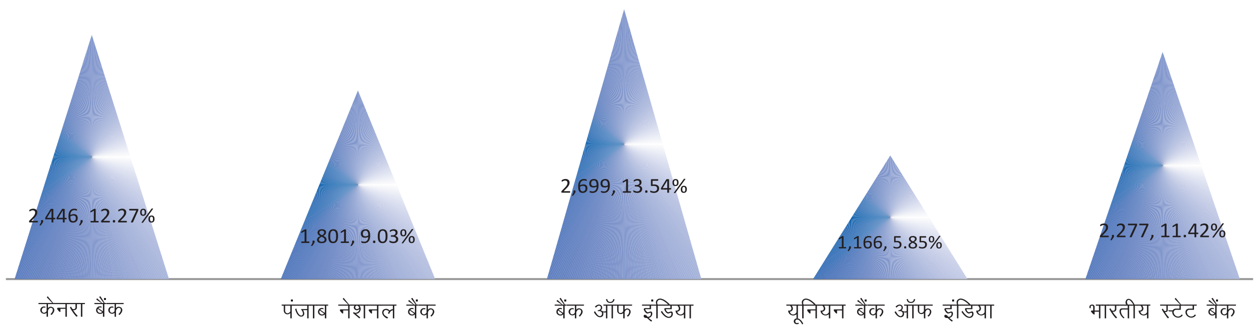

सदस्य ऋणदात्री संस्था–वार अनुमोदित राशियाँ (₹ करोड़)

सीजीटीएमएसई के कार्यकलाप की रिपोर्ट मार्च 31, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट की मूल निधि

1.1 इस ट्रस्ट की मूल निधि का अंशदान भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में किया गया है। इस ट्रस्ट की प्रतिबद्ध मूल निधि ₹2,500 करोड़ (अब बढ़ कर ₹7,500 करोड़) है, जिसका अंशदान भारत सरकार (₹2,000 करोड़) और सिडबी (₹500 करोड़) द्वारा किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान, ट्रस्टो को इस मूल निधि के लिए ₹68.47 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें से भारत सरकार का योगदान ₹64.03 रहा, जबकि सिडबी ने ₹4.44 करोड़ प्रदान किए, जिससे मूल निधि की सकल धनराशि में दोनों का अलग–अलग योगदान क्रमशः ₹2,000 करोड़ और ₹500.00 करोड़ हो गया। ट्रस्ट की कुल प्रतिबद्ध मूल निधि 31 मार्च 2017 को ₹2,500 करोड़ थी, जो कि पूर्ण अंशदान है। इस मूल निधि में वर्ष–वार योगदान का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

1.2 भारत सरकार ने इस ट्रस्ट की वर्तमान प्रतिबद्ध मूल निधि ₹2,500 करोड़ से बढ़ा कर ₹7,500 करोड़ कर दी है। ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिबद्ध मूल निधि पूर्णतः भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार, ट्रस्ट की ₹7,500 करोड़ की संपूर्ण मूल निधि में, भारत सरकार और सिडबी का भाग, क्रमशः ₹7,000 करोड़ और ₹500 करोड़ होगा। ट्रस्ट को ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्तः मूल निधि, वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त, होने की संभावना है।

समूह निधि में अंशदान (₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार	सिडबी	कुल
2001	100.00	25.00	125.00
2002	100.00	25.00	125.00
2003	141.62	35.40	177.02
2004	192.00	51.84	243.84
2005	211.63	49.07	260.70
2006	200.00	50.00	250.00
2007	124.00	33.00	157.00
2008	198.00	47.50	245.50
2009	122.10	34.00	156.10
2010	135.91	30.50	166.41
2011	200.00	50.00	250.00
2012	1.00	1.23	2.23
2013	35.00	7.77	42.77
2014	74.99	18.75	93.74
2015	74.99	18.75	93.74
2016	24.74	17.75	42.49
2017	64.03	4.44	68.47
कुल	**2,000.00**	**500.00**	**2,500.00**

2. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार वर्ष 2012–13 से आरंभ हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के परिणामस्वरूप, वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, गारंटी कवर प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 73 से घट कर 51 हो गई है। संशोधित पंजीकरणः मानदंडों के अनुसार, इन 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, उनके गारंटी अनुमोदनों को जारी रखने के लिए ट्रस्ट के साथ पुनः पंजीकृत होना पड़ा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो संशोधित पंजीकरण मानदंडों का अनुपालन करते थे, उन्हें ट्रस्ट की सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के रूप में पुनःपंजीकृत कर लिया गया है। 31 मार्च, 2017 तक ट्रस्ट की कुल पात्र सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या 106 है (अनुबंध–I), जिनमें 28 ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक–सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ है, जिनका हालाँकि ट्रस्ट में पुनः पंजीकरण नहीं हुआ है, किन्तु वे पहले गारंटी कवर प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 20 निजी क्षेत्र के बैंक, 5 विदेशी बैंक और 9 अन्य वित्तीय संस्थान ट्रस्ट से गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ऋण गारंटी योजना के तहत परिचालन

3.1 31 मार्च 2017 की समाप्ति तक कुल 106 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ गारंटी कवर प्राप्ते कर रही थीं। इस ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक दिए गए गारंटी अनुमोदनों का वर्ष–वार विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

वित्तीय वर्ष	सक्रिय सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या	अनुमोदित ऋण सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की रकम (₹ करोड़)	अनुमोदित संचयर गारंटियां (₹ करोड़)	औसत आकार (₹ लाख)
2000-01	9	951	6	6	0.63
2001-02	16	2,296	30	36	1.28
2002-03	22	4,955	59	94	1.18
2003-04	29	6,603	118	212	1.78
2004-05	32	8,451	267	539	3.16
2005-06	36	16,284	462	1,001	2.83
2006-07	40	27,457	705	1,705	2.56
2007-08	47	30,285	1,056	2,702	3.48
2008-09	57	53,708	2,199	4,824	4.09
2009-10	85	1,51,387	6,875	11,560	4.54
2010-11	106	2,54,000	12,589	23,846	4.95
2011-12	109	2,43,981	13,784	37,139	5.65
2012-13	117	2,88,537	16,062	52,600	5.57
2013-14	117	3,48,475	18,188	70,026	5.22
2014-15	119	4,03,422	21,275	90,446	5.27
2015-16	119	5,13,978	19,949	1,08,991	3.88
2016-17	106	4,52,127	19,931	1,28,787	4.41
31.03.2017 को संचयी आधार पर		**27,72,744**	**1,28,787**		

अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

3.2 वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, कुल 4,52,127 गारंटियों के लिए समग्रतः ₹19,931 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गई। संचयी रूप से, 31 मार्च 2017 तक कुल 27,72,744 खातों के लिए ₹1,28,787 करोड़ की गारंटी अनुमोदित की जा चुकी है। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ₹50 लाख से ऊपर के ऋणों के लिए जोखिम सहभागिता करने के कारण, वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान, जो औसत ऋण–आकार घट गया था, वह अब ₹3.88 लाख से बढ़ कर ₹4.41 लाख हो गया है। वित्तीय वर्ष 2016 में राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के माध्यम से मुद्रा गारंटी योजना प्रारंभ होने के कारण, वित्तीय वर्ष 2016 तथा वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान गारंटी अनुमोदनों में कमी दिखाई दी। मुद्रा गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017 में परिचालन क्रमशः बढ़े हैं तथा इनसे एक सीमा तक सीजीटीएमएसई परिचालनों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस बीच, सीजीटीएमएसई ने गारंटी योजना में शामिल किए जाने वाले ऋण–आकार की वर्तमान सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ा कर ₹2 करोड़ कर दिया है।

4. सदस्य ऋणदात्री संस्था–वार कवरेज

4.1 वित्तीय वर्ष 2017 के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्था–वार गारंटी कवरेज और 31 मार्च 2017 को संचयी कवरेज को **अनुबंध–II** में दिया गया है। वर्ष के दौरान, कवर किए गए प्रस्तावों की संख्या की दृष्टि से, क्रेडिट गारंटी योजना के तहत, पाँच शीर्षस्थ सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ इस प्रकार रहीं :

क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्था	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित (₹ लाख में)
1	केनरा बैंक	79,370	2,44,604.04
2	पंजाब नैशनल बैंक	70,276	1,80,070.99
3	बैंक ऑफ इंडिया	42,867	2,69,880.58
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	42,791	1,16,589.05
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	38,819	2,27,675.34

4.2 31 मार्च, 2017 को शीर्ष पाँच बैंकों के लिए दिए गए गारंटी अनुमोदनों की संचयी स्थिति, इस प्रकार से है :

क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्था	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ लाख में)	% कुल अनुमोदित गारंटी (राशिवार)
1	भारतीय स्टेट बैंक	4,08,105	19,99,410.97	16
2	केनरा बैंक	4,03,918	12,49,741.02	10
3	बैंक ऑफ इंडिया	3,11,867	18,34,875.65	14
4	पंजाब नैशनल बैंक	2,56,582	9,96,899.29	8
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,50,828	4,40,548.28	3

5. राज्य वार कवरेज

5.1 वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए, राज्यो–वार गारंटी कवरेज और 31 मार्च 2017 को संचयी कवरेज का विवरण, क्रमशः **अनुबंध–III** में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान शीर्ष 5 राज्यों में दिए गए गारंटी अनुमोदनों की स्थिति इस प्रकार है :

क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्था	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ लाख में)
1	महाराष्ट्र	52,623	2,83,494.90
2	तमिलनाडु	49,000	1,85,823.62
3	उत्तर प्रदेश	48,954	1,68,528.05
4	कर्नाटक	46,229	2,27,845.08
5	केरल	38,194	97,313.01

5.2 यथा 31 मार्च 2017 तक पांच शीर्ष राज्यों में गारंटी के अनुमोदन की स्थिति संचयी रूप से निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्था	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ लाख में)	कुल अनुमोदित गारंटी (राशिवार) में से अनुमोदित राशि का %
1	उत्तर प्रदेश	3,08,884	12,59,152.28	10
2	तमिलनाडु	2,77,079	10,70,326.12	8
3	केरल	2,54,679	6,17,547.67	5
4	कर्नाटक	2,47,189	12,31,156.84	10
5	महाराष्ट्र	2,23,486	15,04,427.29	12

6. उद्योग–वार कवरेज

यथा 31 मार्च, 2017 को क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटीकृत मामलों का क्षेत्रवार विश्लेषण **अनुबंध–IV** में दिया गया है।

7. स्तर–वार कवरेज

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत स्तर–वार कवरेज के आँकड़े तथा यथा 31 मार्च, 2017 के संचयी आँकड़े **अनुबंध–V** में दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान अनुमोदित अधिकांश प्रस्ताव छोटे ऋणों से संबंधित थे। इस दौरान, 3,59,219 प्रस्तावों

के लिए ₹5,857 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया, जो ₹5 लाख तक के ऋणों से संबंधित थे और इस संख्याए की दृष्टि से, वित्तीय वर्ष 2017 के लिए अनुमोदित कुल गारंटियों का 79% है। वित्तीय वर्ष 2017 में अनुमोदित 4,52,127 प्रस्तावों की रकम ₹19,931 करोड़ है, इनमें से 1,75,554 प्रस्ताव (39%) ऐसे थे जो एक लाख रुपये तक के ऋणों से संबंधित थे; कुल 97,181 प्रस्ताव (21.49%) ऐसे थे जिनका क्रेडिट घटक ₹1,00,001 से ₹25 लाख के दायरे में था; 86,484 प्रस्ताव (19%) ₹2,00,001 से ₹50 लाख के दायरे में थे; 58,017 प्रस्ताव (13%) ₹5,00,001 से 10 लाख के दायरे में थे; 23,726 प्रस्ताव (5%) ₹10,00,001 से ₹25 लाख के दायरे में थे; 8,006 प्रस्ताव (2%) ₹25,00,001 से ₹50 लाख के दायरे में थे; और 3,071 प्रस्ताव (1%) ₹0.50 लाख से ₹200 लाख के ऊपरी वर्ग में थे।

8. कवर किए गए ऋणों का औसत आकार

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान योजना के अंतर्गत कवर किए गए ऋणों का औसत आकार उल्लेखनीय रूप से बढ़ कर ₹4.41 लाख हो गया है जबकि विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह आंकड़ा ₹3.88 लाख रूपये था। इसका मुख्य कारण न्यास द्वारा सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से प्राप्त ₹50 लाख से अधिक की ऋण सुविधाओं वाले आवेदनों में कमी है। जबकि सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के जोखिम के अंश को न्यास द्वारा बढ़ा कर 50% कर दिया गया है। मुद्रा गारंटी की शुरूआत के बाद सीजीटीएमएसई के औसत ऋण आकार में वृद्धि होने से इसके औसत आकार में वृद्धि होगी।

9. दावों का निपटान और समापन

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 38,628 आवेदन गारंटी के अप्रतिसंहरण (इनवोकेशन) और चूककर्ता कर्जदारों के प्रति किए गए दावों के निपटान के लिए प्राप्त हुए, जिनके लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि न्यास द्वारा गारंटी जारी की गई थी और यह गारंटी प्रभावी थी। वित्तीय वर्ष 2016 की समाप्ति पर पूर्व में दायर तथा निपटान के लिए लंबित आवेदनों तथा साथ ही वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान प्राप्त आवेदनों में से 39,605 इकाइयों के संबंध में किए गए दावे प्रथम किस्त हेतु पहले ही निपटाए जा चुके हैं, जिनकी राशि ₹1,034 करोड़ बनती है। 31 मार्च 2017 को, संचयी रूप से, ₹151 करोड़ के लिए 1884 इकाइयों के दावों को अस्वीकृत किया गया है और 457 इकाइयों के संबंध में ₹45.50 करोड़ के दावों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा वापस लिया जा चुका है।

10. दावेत्तर निपटान वसूलियाँ

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दावेत्तर निपटान वसूलियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान प्राप्त हुए ₹57.93 करोड़ के मुकाबले न्यास को इस खाते में वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ₹125.50 करोड़ प्राप्त हुए। यह सुधार न्यास द्वारा दावेत्तर निपटान निगरानी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हो पाया है। इसके अतिरिक्त, न्यास द्वारा प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से वसूली जमा प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है जिसने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के लिए वसूली राशि के विप्रेषण की दिक्कतों को कम किया है। ट्रस्ट को इस प्रवृत्ति के जारी रहने की आशा है।

11. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम निधि

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से प्रदत्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क की पूर्ति हेतु ₹2.80 लाख की अग्रिम निधि सीजीटीएमएसई के पास रखी गयी थी। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा रखी गयी इस निधि का न्यास द्वारा लगभग उपयोग कर लिया गया है। विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान ₹0.25 करोड़ की अतिरिक्त अग्रिम राशि, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के हस्तशिल्प क्षेत्र को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों के लिए गारंटी शुल्क तथा

वार्षिक सेवा शुल्क की पूर्ति हेतु रखी गई थी। वित्तीय वर्ष 17 में इस राशि में से 3,22,251 का उपयोग 117 गारंटीकृत मामलों के लिए किया गया है।

12. विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की अग्रिम निधि

हथकरघा क्षेत्र के कारीगरों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋणों के संबंध में गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क की पूर्ति हेतु विकास आयुक्त (हथकरघा) ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹82.50 लाख की अग्रिम निधि रखी थी। ₹82.50 लाख की उक्त राशि में ₹26.25 लाख की वह राशि भी शामिल है, जो वाराणसी और मुर्शिदाबाद के विशाल समूहों के हथकरघा बुनकरों के लिए गारंटी कवर संभव बनाने हेतु विकास आयुक्त (हथकरघा) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से 23 दिसम्बर, 2011 को प्राप्त हुई थी। यथा 31 मार्च, 2017 को सीजीटीएमएसई ने विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा रखी गई ₹82.50 लाख की अग्रिम निधि में से ₹74.62 का उपयोग कर लिया था। इसके लाभार्थियों की संख्या 39,939 थी।

वित्तीय वर्ष 2017 की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

13.1 मूल निधि में वृद्धि

भारत सरकार द्वारा न्यास की मौजूदा प्रतिबद्ध मूल निधि ₹2,500 करोड़ से बढ़ा कर ₹7,500 करोड़ की गयी थी। ₹5,000 करोड़ की प्रस्तावित अतिरिक्त मूल निधि पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से दी जाएगी। भारत सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अभी तक ₹1697 करोड़ का योगदान किया है। भारत सरकार द्वारा पूंजी मूल निधि देने से सीजीटीएमएसई की स्थिति सुदृढ़ होगी और इससे यह अपने परिचालनों को विस्तारित करने में और सक्षम बनेगा। भारत सरकार द्वारा मूल निधि में बढ़ोत्तरी करने से सीजीटीएमएसई, ऋण सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ करने तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को गारंटी सुविधा देने में सक्षम हो पाया है।

13.2 गारंटी कवर की मात्रा में विस्तार और एनबीएफसी का समावेशन

31 दिसंबर, 2016 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को किए गए अपने संबोधन में की गयी घोषणा के परिणामस्वरूप प्रति उधारकर्ता अधिकतम कवर की सीमा ₹100 लाख से बढ़ा कर ₹200 लाख की गई थी। साथ ही, ट्रस्ट ने चुनिंदा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नए गारंटी उत्पाद तैयार किए। ऐसा उसने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को सेवाएं देने की अपनी पहुंच को बढ़ाने के एक उपाय के तौर पर किया है।

13.3 29वां एसीएसआईसी सम्मेलन

सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 23 से 25 नवंबर 2016 के दौरान बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित एशियाई क्रेडिट सप्लिमेंटेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडरेशन (एसीएसआईसी) के 29वें सम्मेलन में प्रतिभागिता की। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय "ऋण अनुपूरकता : उद्यमियों को तैयार करने की चुनौतियाँ" था। इसमें 12 देशों के 125 से अधिक प्रतिभागियों ने 16 गारंटी संगठनों का प्रतिनिधित्व किया। सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भारत में सूक्ष्म ऋण देने की प्रासंगिकता और इसकी संवृद्धि पर एक प्रस्तुति दी, जिसे प्रतिभागियों द्वारा सराहा गया।

13.4 विदेशी प्रतिनिधिमंडल

जमक्रिनडो (एसीएसआईसी का एक सदस्य) और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रतिनिधियों में से छह व्यक्तियों के एक समूह ने सीजीटीएमएसई का दौरा किया। प्रतिभागियों के समक्ष क्रेडिट गारंटी योजना पर एक प्रस्तुति दी गयी। नियमित रूप से सार्थक संवाद एवं सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान–प्रदान हेतु जमक्रिनडो के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया।

13.5 भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक द्वारा सीजीटीएमएसई

वर्ष के दौरान भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक कार्यालय (सीएजी) ने सीजीटीएमएसई ट्रस्ट की 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए तीन वर्षों की लेखा–परीक्षा की। सीएजी ने अपने निरीक्षण के भाग II-ए के अंतर्गत कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की भाग II-बी के अंतर्गत अन्य टिप्पणियाँ/सुझाव में मुख्य रूप से ट्रस्ट के वसूली प्रयासों को सुदृढ़ बनाने तथा जोखिम के शमन के संबंध में थे।

सीजीटीएमएसई द्वारा की गई अन्य पहल कदमियाँ

14.1 एमएलआई के साथ अनवरत विचार–विमर्श

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के बीच सीजीएस की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए तथा योजना के प्रक्रियागत पक्षों के बारे में एमएलआई के परिचालनकर्ता अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए सीजीटीएमएसई ने अपनी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के बैंक अधिकारियों के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया। ये आयोजन अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्रों आदि के स्तर पर किए गए। 2017 के दौरान सीजीटीएमएसई ने 14 जागरुकता कार्यक्रम/कार्यशाला/संगोष्ठी/बैठकें आदि आयोजित की/उनमें भाग लिया। उक्त कार्यशालाओं/बैठकों में सिडबी, सिन्डिकेट बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, ड्यूश बैंक, इन्डियन ओवरसीज बैंक आदि जैसी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं शामिल थीं।

14.2 सिस्टम सुधार एवं प्रक्रिया सरलीकरण

सिस्टम में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दावों के निपटान के बाद वसूली विवरण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। इस ऑनलाइन माड्यूल ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से वसूली की रसीद प्राप्ति की प्रक्रिया का स्वचालन कर दिया है। साथ ही, अयांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिए सीजीटीएमएसई पोर्टल में नए मॉड्यूल बनाए गए हैं जिसमें सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर की गई ऋण सुविधाओं की अवधि तथा उधारकर्ताओं के विवरणों को संशोधित कर सकते हैं। इसी प्रकार, दावा आवेदन के भाग के रूप में घोषणा–पत्र एवं अभिवचन–पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने के लिए नया मॉड्यूल बनाया गया है। इन कदमों ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को परिचालनगत सुविधा प्रदान की है।

14.3 इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गारंटी फीस की प्राप्ति

सॉफ्टवेयर में इस दृष्टि से सुधार किया गया कि ट्रस्ट को मिलने वाली वार्षिक शुल्क तथा गारंटी शुल्क एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त हो सके। जबकि वर्तमान में गारंटी शुल्क मांग ड्राफ्ट के जरिए प्राप्त होता है। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दावा निपटान के बाद वसूली को पारित करने की प्रक्रिया एवं निगरानी तथा निरीक्षण प्रक्रिया को भी स्वचालित कर दिया गया है।

14.4 पूछताछ मॉड्यूल

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के लाभ हेतु पूछताछ मॉड्यूल विकसित किया गया है। इससे ग्राहक सेवा में सुधार हुआ है और जवाबी समय में कमी आई। सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं अब कम प्रयास के ही हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अपनी पृच्छा को प्रेषित कर सकती हैं और ट्रस्ट यह सुनिश्चित करता है कि समयबद्ध तरीके से उन पृच्छाओं का उत्तर दिया जाए।

ऋण गारंटी योजना परिचालनों का समग्र प्रभाव

ऋण गारंटी प्रदत्त सूक्ष्म और लघु उद्यमों का में पण्यावर्त, निर्यात और रोजगार की दृष्टि से अर्थव्यवस्था पर सीजीटीएमएसई के परिचालनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसाकि निम्न तालिका से दृष्टव्य है :

	यथा 31.03.2017	यथा 31.03.2016
संचयी अनुमोदित गारंटियाँ (संख्या में)	27,72,744	23,23,673
ऋण राशि (सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदत्त) (₹ करोड़)	1,28,787	1,08,991
गारंटीकृत इकाइयों का अनुमानित कुल कारोबार (₹ करोड़)	10,18,285	8,67,019
गारंटीकृत इकाइयों का अनुमानित निर्यात (₹ करोड़)	7,762	7,291
अनुमानित रोजगार सृजन (संख्या – लाख)	90.61	77.22
सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या	128	127
अनुसूचित जाति/जनजाति (कुल गारंटी राशि का %)	3.86	3.82
महिला लाभार्थी (कुल गारंटी राशि का %)	15.66	15.37
अल्पसंख्यक (कुल गारंटी राशि का %)	4.30	4.52
उत्तर पूर्वी क्षेत्र (%)	3.75	3.83
कृपया नोट करें : मध्यवर्ती निरसनों / संशोधनों के कारण वास्तविक आँकड़े भिन्न हो सकते हैं।		

मार्च 31, 2017 के अनुसार कुल अनुमोदित सख्या संचयी का प्रतिशत और श्रेणीवार अनुमोदित सख्या

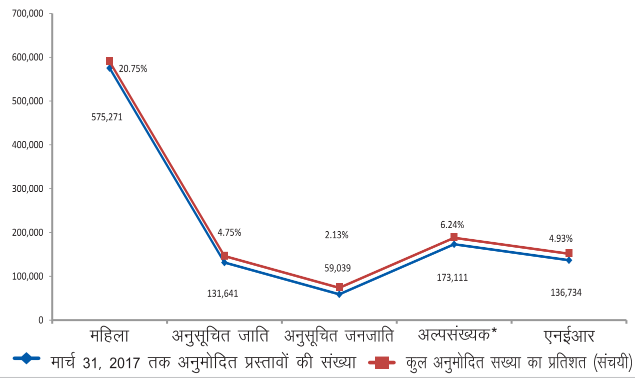

मार्च 31, 2017 के अनुसार कुल अनुमोदित राशि (करोड में) संचयी का प्रतिशत और श्रेणीवार अनुमोदित राशि (करोड में)

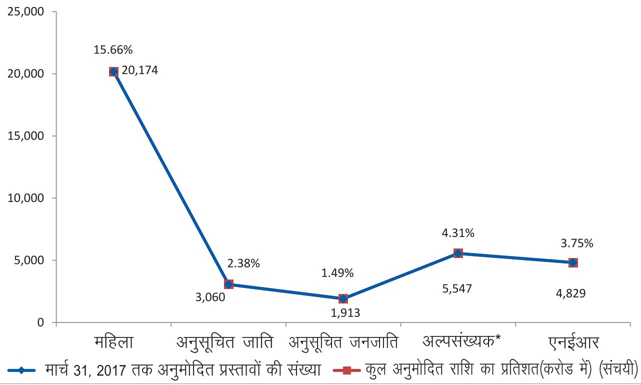

लेखापरीक्षक

लेखापरीक्षक

सनदी लेखाकारों की फर्म – मेसर्स एम. पी. चितले एंड कंपनी, मुम्बई को वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु सीजीटीएमएसई का आतंरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। उक्त लेखापरीक्षकों ने सम्पूर्ण कंप्यूटर प्रणाली की व्यापक समीक्षा की और राजस्व व्यय, निवेश और राजस्व आय को शामिल करते हुए वित्तीय लेखा परीक्षा भी की।

लेखा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुशंसा के अनुरूप निदेशक मंडल ने सनदी लेखाकारों की फर्म – मेसर्स के. एस. संघवी एंड कंपनी, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु सीजीटीएमएसई का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया।

ट्रस्ट ने ₹1,159 करोड़ की सकल आय अर्जित की, जिसमें मुख्य रूप से गारंटी शुल्क (₹174 करोड़), वार्षिक गारंटी और सेवा शुल्क (₹428 करोड़), निवेशों पर अर्जित ब्याज (₹431 करोड़) और सदस्य ऋणदाता संस्थाओं से हुई वसूली (₹126 करोड़) शामिल है। ट्रस्ट ने विभिन्न परिचालनगत तथा प्रशासनिक व्ययों के प्रति ₹7 करोड़ (विगत वर्ष में हुए व्यय के समान ₹7 करोड़) की राशि व्यय की। वार्षिक प्रावधान वित्तीय वर्ष 2009 से ट्रस्ट की देयताओं के बीमांकक मूल्यांकनों के आधार पर किए जा रहे हैं। दावों के प्रावधान का मूल्यांकन बीमांकक द्वारा प्राप्त दावों और जारी की गई गारंटियों के बीच रिग्रेशन समीकरण के आधार पर किया गया है। इससे पहले प्रावधान सीजीटीएमएसई के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति पर आधारित होते थे। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प्रावधानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
यथा 01 अप्रैल 2016 को अथशेष	1,734.62
घटाइए : वर्ष के दौरान अदा किए गए दावे	1,062.27
जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,126.11
यथा 31 मार्च 2017 को इतिशेष	1,798.46

यथा 31 मार्च, 2017 को संचयी प्रावधान अनुमानित रूप से ₹1,798.46 करोड़ है। बीमांकक के मूल्यांकन के अनुसार दावों के प्रावधान के पश्चात आय से व्यय ₹26 करोड़ (टैक्स अदायगी से पूर्व) अधिक था।

वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने अपने संस्थापकों से ₹68.47 करोड़ का मूल निधि अंशदान प्राप्त किया। यह राशि, पूर्व में प्राप्त मूल निधि अंशदान और ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित की गई निवल आय के साथ बैंकों / संस्थाओं की सावधि जमाओं में निवेश कर दी गई है। मूल निधि का आकार 31 मार्च, 2017 को ₹2,500 करोड़ था। 31 मार्च, 2017 को कुल निधि ₹4,611.94 करोड़ (उपचित ब्याज घटाकर) थी, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह ₹4,529.08 करोड़ थी। 31 मार्च, 2017 को वापसी योग्य मूल निधि उपचित ब्याज घटक को जोड़ने के पश्चात ₹4,928 करोड़ थी। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान संचयी रूप से जारी गारंटियों की राशि ₹1,17,844 करोड़ थी।

प्रबंध और संगठन

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान न्यासी मंडल में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष के रूप में, अपर सचिव तथा विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार पदेन उपाध्यक्ष के रूप में, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में तथा सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में शामिल थे। वर्ष 2016–17 के दौरान न्यासी मंडल की 5 बैठकें हुईं। यथा 31 मार्च, 2017 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित 5 अधिकारी सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ, सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदाता संस्थान, विश्व बैंक, विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग संघों से प्राप्त सहायता व सहयोग की सराहना करता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
न्यासी बोर्ड के लिए तथा की ओर से

ह/-
(अजय कुमार कपूर)
अध्यक्ष

स्थान : मुम्बई
दिनांक : जुलाई 19, 2017

अनुलग्नक

अनुलग्नक - I

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के नाम (यथा 31 मार्च, 2017)

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की कुल संख्या – 106

(क) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(I) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (21)

1 इलाहाबाद बैंक
2 आन्ध्रा बैंक
3 बैंक ऑफ बड़ौदा
4 बैंक ऑफ इन्डिया
5 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6 केनरा बैंक
7 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया
8 कॉरपोरेशन बैंक
9 देना बैंक
10 आईडीबीआई बैंक लि.
11 इन्डियन बैंक
12 इन्डियन ओवरसीज बैंक
13 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
14 पंजाब एवं सिन्ध बैंक
15 भारतीय स्टेट बैंक
16 पंजाब नैशनल बैंक
17 सिन्डिकेट बैंक
18 यूको बैंक
19 यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया
20 यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया
21 विजया बैंक

(II) निजी क्षेत्र के बैंक (20)

1 एक्सिस बैंक लि.
2 सिटी यूनियन बैंक
3 डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.
4 एचडीएफसी बैंक लि.
5 आईसीआईसीआई बैंक लि.
6 इन्डसइंड बैंक लि.
7 आईडीएफसी बैंक लि.
8 कर्णाटक बैंक लि.
9 कोटक महिन्द्रा बैंक लि.
10 लक्ष्मी विलास बैंक
11 तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लि.
11 द धनलक्ष्मी बैंक लि.
13 द फेडरल बैंक लि.
14 द जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.
15 द करूर वैश्य बैंक लि.
16 द नैनीताल बैंक लि.
17 द रत्नाकर बैंक लि.
18 द साउथ इन्डियन बैंक लि.
19 यस बैंक लि.
20 कैथोलिक सीरियन बैंक लि.

(III) विदेशी बैंक (5)

1 बर्कलेज बैंक पीएलसी
2 बैंक ऑफ बहरीन एवं कुवैत
3 डॉयचे बैंक
4 डीबीएस बैंक
5 स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (51)

1	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	27	मेघालय ग्रामीण बैंक
2	आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	28	मिजोरम ग्रामीण बैंक
3	आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	29	नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक
4	असम ग्रामीण विकास बैंक	30	उड़ीशा ग्राम्य बैंक
5	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक	31	पल्लवन ग्रामीण बैंक
6	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	32	पांड्यन ग्राम बैंक
7	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	33	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक
8	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	34	प्रथम बैंक
9	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35	पुडुवई भरथियार ग्रामीण बैंक
10	सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	36	पंजाब ग्रामीण बैंक
11	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	37	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
12	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	38	राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक
13	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	39	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
14	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावत	40	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
15	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	41	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक
16	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	42	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
17	झारखंड ग्रामीण बैंक	43	सतलज ग्रामीण बैंक
18	कर्णाटक विकास ग्रामीण बैंक	44	तेलंगाना ग्रामीण बैंक
19	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	45	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
20	कावेरी ग्रामीण बैंक	46	उत्कल ग्रामीण बैंक
21	केरला ग्रामीण बैंक	47	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
22	लंग्पी देहांगी ग्रामीण बैंक	48	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
23	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	49	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
24	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	50	वनांचल ग्रामीण बैंक
25	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	51	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
26	मालवा ग्रामीण बैंक		

(ग) ऋणदात्री संस्थाएं (9)

1	आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	6	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.
2	दिल्ली वित्तीय निगम	7	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
3	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लि.	8	द तमिलनाडु उद्योग निवेश निगम लि.
4	केरल वित्तीय निगम	9	भारतीय आयात निर्यात बैंक
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.		

***टिप्पणी**: 1. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दृष्टांत वित्त वर्ष 2012–13 की शुरूआत से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संख्या के समामेलन के परिणामस्वरूप, वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति पर आरआरबी की कुल संख्या 73 से घटकर 51 पहुंच गई है। 2. भारतीय स्टेट बैंक के सभी छह सहयोगी बैंक (भारतीय महिला बैंक लि., एसबीबीजे, एसबीपी, एसबीएम, एसबीएच, एसबीटी) भी इसके साथ विलय हो गए हैं। 3. आईएनजी वैश्य बैंक लि. का कोटक महिन्द्रा बैंक लि. के साथ विलय हो गया है।

अनुलग्नक - II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था–वार अनुमोदित गारंटियां तथा यथा 31 मार्च 2017 तक का संचयी

क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2016–17		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	इलाहाबाद बैंक	11,322	52,651.40	86,315	3,59,512.03
2	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	0	0.00	2,759	5,839.51
3	आन्ध्रा बैंक	4,958	24,805.28	28,330	98,025.08
4	आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	2,065	1,231.29	6,453	3,800.53
5	आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	5	140.76	73	2,509.08
6	आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	1,559	1,878.19	8,136	6,631.11
7	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	0	0.00	2,191	8,918.39
8	असम ग्रामीण विकास बैंक	0	0.00	8,483	20,324.90
9	एक्सिस बैंक लि.	688	24,026.24	2,484	91,031.08
10	बैतरणी ग्राम्य बैंक	0	0.00	2,097	7,200.06
11	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक	0	0.00	430	117.31
12	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक	0	0.00	2,722	8,661.09
13	बैंक ऑफ बड़ौदा	11,546	67,383.10	91,043	6,33,250.02
14	बैंक ऑफ इन्डिया	42,867	2,69,880.58	3,11,867	18,34,875.65
15	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	4,713	22,887.21	25,966	2,22,992.75
16	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	0	0.00	132	866.10
17	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	0	0.00	46	376.40
18	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	140	602.38	3,737	10,443.52
19	भारतीय महिला बैंक लि.	297	1,440.02	1,020	5,997.78
20	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	845	2,906.28
21	केनरा बैंक	79,370	2,44,604.04	403,918	12,49,741.02
22	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया	4,993	33,247.17	71,604	4,30,155.21
23	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	0	0.00	69	92.78
24	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	1,510	524.86	6,948	4,420.98
25	सिटी यूनियन बैंक	23	446.24	1,332	12,941.62
26	कॉरपोरेशन बैंक	9,438	47,428.99	52,822	3,08,796.38
27	दिल्ली वित्तीय निगम	0	0.00	634	1,455.03
28	देना बैंक	4,509	24,856.04	25,552	1,31,842.85
29	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	20	47.35	222	571.21
30	डॉयचे बैंक	1,920	58,101.10	7,110	2,16,652.73
31	भारतीय आयात निर्यात बैंक	4	215.00	17	738.00
32	गुडगांव ग्रामीण बैंक	0	0.00	122	224.64
33	हड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	44	180.60
34	हरियाणा ग्रामीण बैंक	0	0.00	120	243.24
35	एचडीएफसी बैंक लि.	1,425	52,210.11	5,181	1,56,800.77
36	हिमाचल ग्रामीण बैंक	0	0.00	631	6,172.52
37	आईसीआईसीआई बैंक लि.	49	1,592.22	893	6,768.16
38	आईडीबीआई बैंक लि.	1,021	10,432.29	3,833	65,520.84

क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2016–17		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
39	आईडीएफसी बैंक लि.	16	1,182.50	16	1,182.50
40	इन्डियन बैंक	13,404	46,230.66	45,058	1,37,934.21
41	इन्डियन ओवरसीज बैंक	14,585	63,426.72	1,36,408	6,21,720.09
42	इन्डसइंड बैंक लि.	0	0.00	4	60.88
43	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	0	0.00	105	3,084.78
44	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	0	0.00	20	109.28
45	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	0	0.00	1,116	292.67
46	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लि.	1	30.00	3	75.00
47	झारखंड ग्रामीण बैंक	0	0.00	404	1,857.09
48	कर्णाटक बैंक लि.	4,890	28,911.94	25,923	1,36,279.11
49	कर्णाटक विकास ग्रामीण बैंक	779	2,650.20	14,225	30,133.71
50	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	0	0.00	2,809	6,108.13
51	कावेरी ग्रामीण बैंक	229	863.45	484	1,681.01
52	केरल वित्तीय निगम	1	20.00	267	2,528.06
51	केरल ग्रामीण बैंक	513	764.95	19,294	29,548.04
54	कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	61	2,314.91	195	7,318.67
55	लक्ष्मी विलास बैंक	86	1,538.28	275	4,365.74
56	लंग्पी देहांगी ग्रामीण बैंक	66	283.30	604	1,495.48
57	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	0	0.00	49	73.77
58	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	0	0.00	855	3,176.56
59	एमजीबी ग्रामीण बैंक	0	0.00	93	158.02
60	मिजोरम ग्रामीण बैंक	0	0.00	423	1,452.93
61	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	11	66.26
62	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	0	0.00	91	240.40
63	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	0	0.00	176	1,458.57
64	नीलाचल ग्राम्य बैंक	0	0.00	5,633	18,921.19
65	उत्तर पूर्व विकास वित्त निगम लि.	0	0.00	14	240.50
66	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	4,930	43,620.53	29,291	2,58,473.41
67	पल्लवन ग्रामीण बैंक	1,012	491.33	1,593	728.62
68	पांड्यन ग्राम बैंक	2,725	2,695.07	5,367	5,985.99
69	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	332	1,814.16
70	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	3,088	4,076.79	5,804	6,297.52
71	प्रथम बैंक	34	172.40	3,642	10,646.88
72	पंजाब एवं सिन्ध बैंक	3,512	12,307.02	16,370	52,293.98
73	पंजाब नैशनल बैंक	70,276	1,80,070.99	2,56,582	9,96,899.29
74	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0	0.00	14,966	23,702.35
75	राजस्थान ग्रामीण बैंक	0	0.00	136	517.01
76	ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक	0	0.00	9	41.86
77	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	309	964.07
78	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	182	602.29	1,364	2,927.57
79	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	2,328	1,889.49	5,972	5,464.54
80	सतपुरा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	433	833.48

क्र. सं.	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2016–17		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
81	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	2	11.68	189	1,323.20
82	शारदा ग्रामीण बैंक	0	0.00	64	216.71
83	श्रेयस ग्रामीण बैंक	0	0.00	157	286.20
84	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	124	5,979.21	5,768	1,33,519.84
85	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	175	6,882.25	1,540	40,782.65
86	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	3,992	22,398.74	28,210	1,06,397.49
87	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	5,223	20,947.19	21,666	93,686.50
88	भारतीय स्टेट बैंक	38,819	2,27,675.34	4,08,105	19,99,410.97
89	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2,433	17,668.82	19,192	1,26,542.96
90	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1,834	10,937.75	20,991	1,41,428.43
91	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	7,539	33,515.83	38,028	1,55,509.48
92	सतलज ग्रामीण बैंक	60	30.62	134	56.81
93	सिन्डिकेट बैंक	25,661	1,28,081.33	115,374	5,62,187.20
94	तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लि.	370	2,142.34	1,735	14,607.15
95	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	219	275.66	418	682.63
96	दि बैंक ऑफ राजस्थान लि.	0	0.00	45	10.81
97	दि धनलक्ष्मी बैंक लि.	21	442.41	112	2,144.49
98	दि फेडरल बैंक लि.	281	1,210.74	5,388	27,891.53
99	दि जम्मू एवं कश्मीर बैंक लि.	3,212	6,209.39	45,442	60,305.22
100	दि करूर वैश्य बैंक लि.	38	1,038.62	222	4,483.69
101	दि नैनीताल बैंक लि.	38	383.25	514	4,434.04
102	दि साउथ इन्डियन बैंक लि.	144	942.98	389	2,974.49
103	दि तमिलनाडु उद्योग निवेश निगम लि.	0	0.00	2,717	5,000.64
104	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	0	0.00	489	1,149.74
105	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	4	45.35
106	यूको बैंक	8,661	24,148.83	72,331	2,85,196.49
107	यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया	42,791	1,16,589.05	1,50,828	4,40,548.28
108	यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया	832	9,581.24	45,677	2,02,429.64
109	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	228	518.71	1,347	3,148.74
110	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	0	0.00	588	2,788.01
111	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	1,055	1,470.95
112	वनांचल ग्रामीण बैंक	0	0.00	2,642	7,094.69
113	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	275	610.75
114	विजया बैंक	2,200	17,601.26	17,511	1,43,394.50
115	वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	0	0.00	545	3,581.13
116	यस बैंक लि.	70	3,161.00	146	6,631.50
	कुल	**4,52,127**	**19,93,148.91**	**27,72,744**	**1,28,78,723.48**

* अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

अनुलग्नक - III

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2017 (यथा 31 मार्च 2017) के दौरान अनुमोदित गारंटियां की राज्य–वार रिपोर्ट तथा संचयी

क्र॰ सं॰	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्तीय वर्ष 2017		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	393	2,288.63	2,215	11,379.99
2	आंध्र प्रदेश	13,911	38,550.77	88,945	2,44,062.43
3	अरुणाचल प्रदेश	824	3,653.56	6,761	31,181.62
4	असम	10,934	42,725.43	92,720	3,14,219.44
5	बिहार	16,397	67,168.32	1,35,596	5,71,199.40
6	चंडीगढ	1,307	6,533.43	6,311	38,321.88
7	छत्तीसगढ़	6,716	23,573.37	38,577	1,90,022.28
8	दादरा एवं नागर हवेली	67	1,414.64	487	11,161.58
9	दमन एवं दीव	60	1,025.71	420	9,916.59
10	दिल्ली	8,680	63,963.06	35,421	3,41,040.92
11	गोवा	2,036	11,603.38	16,838	1,02,129.90
12	गुजरात	15,985	1,15,046.56	1,07,699	8,75,598.70
13	हरियाणा	7,108	44,793.16	37,107	2,65,747.64
14	हिमाचल प्रदेश	6,684	26,286.55	48,651	2,53,958.93
15	जम्मू एवं कश्मीर	5,557	15,733.11	64,318	1,39,990.68
16	झारखंड	15,106	92,006.12	1,07,617	6,30,149.82
17	कर्नाटका	46,229	2,27,845.08	2,47,189	12,31,156.84
18	केरल	38,194	97,313.01	2,54,679	61,7,547.67
19	लक्ष द्वीप	62	107.52	358	910.95
20	मध्य प्रदेश	20,479	1,03,899.71	1,00,196	5,18,293.37
21	महाराष्ट	52,623	2,83,494.90	2,23,486	15,04,427.29
22	मणिपुर	878	3,338.81	6,314	20,184.60
23	मेघालय	1,068	4,277.82	7,982	35,452.26
24	मिजोरम	545	2,725.69	3,900	15,234.00
25	नागालैंड	1,432	4,786.24	6,638	22,368.85
26	ओड़िशा	18,950	79,508.54	129,239	5,31,228.53
27	पुड्डुचेरी	979	2,354.18	4,747	15,660.76
28	पंजाब	11,916	42,757.49	61,864	3,24,267.89
29	राजस्थान	13,401	52,984.23	89,492	4,35,999.57
30	सिक्किम	292	1,467.19	2,088	8,823.15
31	तमिलनाडु	49,000	1,85,823.62	2,77,079	10,70,326.12
32	तेलंगाना	13,692	63,220.21	57,294	2,99,596.26
33	त्रिपुरा	866	3,043.61	10,299	35,126.01
34	उत्तर प्रदेश	48,954	1,68,528.05	3,08,884	12,59,152.28
35	उत्तराखंड	6,000	26,726.48	36,087	1,77,305.78
36	पश्चिम बंगाल	14,802	82,580.72	1,55,246	7,25,579.52
	कुल	**4,52,127**	**19,93,148.90**	**27,72,744**	**1,28,78,723.50**

* अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

अनुलग्नक - IV

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान क्षेत्र–वार अनुमोदित गारंटियां तथा यथा 31 मार्च 2017 तक का संचयी

क्र॰ सं॰	क्षेत्र का नाम	प्रस्ताव (संख्या)	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	विनिर्माण एसएसआई	8,56,605	55,71,840.16
2	अमान्य	92,243	3,04,951.61
3	विनिर्माण	11	234.65
4	कॉफी, चाय, माटे एवं मसाले	777	1,429.50
5	मछली, कड़े खोल वाले जीव, सीप और अन्य जलीय अकशेरूकी जीव	98	292.32
6	रेलवे या ट्राम्वे रोलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन और उसके भाग एवं उपस्कर	12,861	72,246.91
7	सब्जियां, फलों, सूखे मेवों या पौधों के अन्य भागों से बने पदार्थ	178	727.79
8	पशु चारा तैयार करने वाले खाद्य उद्योगों के अवशेष और अपशिष्ट	19	282.75
9	कालीन और जमीन पर बिछाये जाने वाले अन्य कपड़ा उत्पाद	217	577.71
10	कताई उद्योग माल्ट स्टार्च इंसुलिन गेहूं लस के उत्पाद	173	676.31
11	औजार, उपकरण, छूरी, चम्मच और कांटा बेस धातु भाग एवं बेस धातु से बने उत्पाद	114	688.25
12	उर्वरक	45	405.13
13	एल्युमिनियम एवं इससे बनी वस्तुएं	135	1,088.56
14	साल्ट सल्फर अर्थ एवं स्टोन प्लास्टरिंग सामग्री चूना एवं सीमेंट	80	636.27
15	रेशम	506	477.72
16	जीवित पेड़ एवं अन्य प्लांट बल्ब, जड़ें और कट फ्लावर एवं सजावटी वनस्पति	67	148.26
17	फीके पदार्थ संशोधित स्टार्च लस एजांइम	1	4.00
18	तैयार पंख तथा पंखों से बनी वस्तुएं या कृत्रिम फल या मानव बालों से बनी वस्तुएं	44	89.35
19	जिंक एवं उसके उत्पाद	2	8.80
20	घड़ियां और उसके औजार	17	21.65
21	निकल व उसकी वस्तुएँ	1	50.00
22	विविध खाद्य पदार्थ	885	2,723.33
23	भेषजीय उत्पाद	70	964.67
24	लौह या इस्पात की वस्तुएँ	247	2,452.22
25	कॉफी, चाय, माटे तथा मसाले	81	172.33
26	स्ट्रा, एस्पार्टी या अन्य प्लेटिंग सामग्री से बनी बास्केटवेयर व विकरवर्क उत्पाद	18	65.49
27	नावें, बोट तथा तरणीय-संरचनाएँ	13	350.81
28	ऊन, पशुओं के परिष्कृत या अपरिष्कृत बाल, घोड़े के बाल, सूत (यार्न) तथा बुने-कपड़े	6	21.65
29	साबुन, जैविक सर्फेस एक्टिव एजेंट, धुलाई-सामग्री, लुब्रिकेटिंग-सामग्री, कृत्रिम मोम(वैक्स)	49	249.59
30	जीवित पशु	21	144.27
31	वाद्य–यंत्रों के पुर्जे तथा सहायक वस्तुएँ या इसी प्रकार की वस्तुएँ	34	212.38
32	कलात्मक वस्तुएँ, संग्रहणीय वस्तुएँ तथा प्राचीन वस्तुएँ	50	197.23
33	मॉस, मछली, क्रस्टेसियन, मॉलस्कस अन्य जलीय अकशेरुकी जीवों से बनी सामग्री	11	38.84
34	लाख गम, राल तथा अन्य सब्जियों के रस तथा अर्क	6	38.92
35	एसएसएसबीई	17,61,106	66,51,339.07
36	विविध विनिर्मित उत्पाद	775	3,938.97

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	प्रस्ताव (संख्या)	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
37	कागज तथा पेपरबोर्ड, कागजी लुगदी या पेपरबोर्ड से बनी वस्तुएं	401	3,059.93
38	कलात्मक कार्य, संग्रहित वस्तुए एवं पुरानी चीजें	149	434.51
39	पशु या वनस्पति वसाएं और तेल एवं उसके अन्य संगत उत्पाद, तैयार खाद्य वसाएं, पशु या वनस्पति मोम	42	366.33
40	जूते–चप्पल, पैरों में पहने जाने वाली अन्य वस्तुएं एवं उनके भाग	308	1,560.05
41	तांबा व उससे बनी वस्तुएँ	33	256.08
42	सीसा/रांगा तथा उसकी वस्तुएँ	5	91.75
43	ऑप्टिकिल, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक, मापतौल, चेकिंग, प्रिसिजन, मेडिकल, सर्जिकल उपकरण, उपकरण पार्ट तथा एसेसरीज	202	1,341.13
44	चर्म–शोधन या डाइंग अर्क तथा उनके व्युत्पन्न डाई, पिगमेंट, कलरिंग मैटर, पेंट, वार्निश पुट्टी, अन्य मैस्टिक्स स्याहियाँ (इंक)	24	241.05
45	मुद्रित पुस्तकें, समाचारपत्र, चित्र तथा मुद्रण उद्योग के अन्य उत्पाद, पांडुलिपियॉ, टाइपस्क्रिप्ट तथा प्लान्स	247	2,292.31
46	लौह तथा इस्पात	113	1,153.59
47	अनाज/धान्य, आटा, माढ़/स्टार्च या दूध से बनी चीजें, पेस्ट्री कुक्स उत्पाद	145	1,109.69
48	अत्यावश्यक तेल तथा रेसिनॉइड सुगंधपूर्ण कॉस्मेटिक्स या प्रसाधन/टॉयलेट वस्तुएँ	46	220.04
49	चमड़े की जीनसाजी तथा साजसज्जा ट्रेवल सामान, हैंडबैग तथा इसी प्रकार की पशु अंतडियों (रेशम के कीडे को छोड़कर) से बनी कंटेनर वस्तुएँ	27	308.92
50	सब्जियों, फलों, सूखे मेवों या पौधों के अन्य भागों से बने पदार्थ	26	61.83
51	मिलिंग उद्योग, जौ, माढ़ (स्टार्च) इन्युलिन, गेहूँ लस के उत्पाद	36	326.23
52	प्लास्टिक तथा उससे बनी वस्तुएँ	138	2,513.04
53	तंबाकू तथा विनिर्मित तंबाकू–विकल्प–चीजें	81	32.79
54	मॉस तथा मॉस की अवशिष्ट खाद्य सामग्री	24	185.30
55	अन्य वनस्पति टैक्सटाइल, फाइबर, पेपर, धागे, तथा पेपर यार्न के बुने हुए कपड़े	16	217.79
56	रबर तथा उससे बनी वस्तुएँ	22	253.45
57	बेस धातु के उपकरण, औजार, कटलरी, चम्मचें व छूरी–कॉटे व उनके बेस धातु के पार्ट	25	290.13
58	कोको तथा कोको की वस्तुएं	6	15.00
59	आप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक, मापतौल, चेकिंग, प्रिसिजन, मेडिकल, सर्जिकल उपकरण, उपकरण भाग एवं उपस्कर	486	2,627.82
60	अन्य बनी बनाई टैक्सटाइल वस्तुंए, पहने हुए कपड़ें तथा टेक्सटाइल वस्तुएं	509	1,739.92
61	पशु उत्पत्तियों के उत्पाद जिनका अन्यथा कहीं उल्लेख नहीं किया गया हो या शामिल नहीं किया गया हो	22	213.80
62	भेषजीय उत्पाद	170	2,222.79
63	अन्य बेस धातु के सरमेट व उनसे बनी वस्तुएं	40	145.26
64	वेजिटेबल प्लेटिंग सामग्री उत्पाद जिनका कहीं उल्लेख नही हो या शामिल नहीं किया गया हो	282	1,047.96
65	कपास	54	348.42
66	अन्य बेस धातु के सरमेट व उनसे बनी वस्तुएं	11	140.62

क्र॰ सं॰	क्षेत्र का नाम	प्रस्ताव (संख्या)	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
67	चमड़ें की जीनसाजी तथा साजसज्जा ट्रेवल सामान, हैंडबैग तथा इसी प्रकार की प्शु अंतड़ियों (रेशम के कीड़ें को छोड़कर) से बनी कंटेनर वस्तुएं	106	767.98
68	मांस या मछली या क्रस्टेसियन, मॉलस्कस या अन्य जलीय अकशेरूकी जीवों से बनी सामग्री	32	39.95
69	रेलवे या ट्राम्वे रोलिंग स्टॉक, ट्राम–वे–ट्रैक फिक्सचर्स, फिटिंग्स एवं हिस्से, यांत्रिक, विद्युत–यांत्रिक ट्रैफिक सिग्नल उपकरण	9	252.00
70	लकड़ी तथा लकड़ी की वस्तुएँ लकड़ी–चारकोल	304	1,001.54
71	फर्नीचर, विस्तरें, दरियां, दरी सुपरऑर्ट, तकिया और समान भरी हुई वस्तुंए, लैम्प, लाइटिंग फिटिंग्स, प्रीफैब्रिकेटेड भवन	210	1,318.05
72	वस्त्र तथा परिधान ऐसेसरीज, जो बुनी हुई या क्रोशिया की हुई न हों	193	693.83
73	अनाज	55	1,051.10
74	विविध रासायनिक उत्पाद	25	629.55
75	विशेष ऊनी कपड़े, टफ्डेड टैक्सटाइल कपडे, फीते (लेस), कशीदाकारी ट्रिमिंग कढ़ाई (एम्ब्रॉयडरी)	66	903.43
76	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, उसकी मशीनरी तथा मैकेनिकल एप्लाएंस और उसके पुर्जे	38	596.50
77	फरखाल तथा चर्म को छोड़ कर कच्चा चमड़ा तथा खालें	2	51.00
78	छाते, धूप–छाते, वॉकिंग–छड़ियाँ, सीट–छड़ियाँ, व्हिप्स, राइडिंग–क्रॉप्स तथा उनके पार्ट	3	3.80
79	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव, रोलिंग–स्टॉक, ट्राम–वे–ट्रैक–फिक्सचर्स, फिटिंग्स व पार्ट, मैकेनिकल, इलैक्ट्रो–मैकेनिकल–ट्रैफिक–सिगनल–उपकरण	11	195.04
80	तांबा व उससे बनी वस्तुएं	12	123.74
81	सीसा व उससे बनी वस्तुंए	1	6.00
82	अनाज	194	1,662.12
83	विशेष ऊनी कपड़े, टफ्डेड टैक्सटाइल, फीते, कशीदाकारी ट्रिमिंग कढ़ाई	501	1,433.36
84	मिट्टी के उत्पाद	148	837.45
85	पेयपदार्थ, स्पिरिट एवं सिरका	205	1,597.80
86	मांस एवं खाद्य मांस अपशिष्ट	126	223.41
87	जहाज, नौकाएं और अन्य तैरने वाले ढांचे	15	79.50
88	फरखाल एवं चर्म को छोड़कर कच्चा चमड़ा तथा खालें	10	178.65
89	एक्सप्लोसिव पायरोटेकनिक उत्पाद पायरोटिक एलॉट विशिष्ट कॉम्बुस्टिबल प्रिपरेशन	7	15.59
90	छाते, धूप छाते, वॉकिंग छड़ियां, सीट छड़िया, व्हिप्स, राइडिंग क्राप्स तथा उनके पार्ट	4	5.66
91	प्रोजेक्ट इंपोर्ट लेबोरेटरी केमिकल्स पैसेंजर बैगेज विमान से पर्सनल इंपोर्टेशन या पोस्ट शिप स्टोर	15	165.61
92	प्राकृतिक या प्रसंस्कृत मोती, मूल्यवान, अर्ध–मूल्यवान पत्थर, मूल्यवान धातुएँ, मूल्यवान धातुओं वाली धातु कालीन, नकली गहने की वस्तुएँ, सिक्के	87	331.03
93	बुने हुए या क्रोशिया किए हुए वस्त्र	121	365.22
94	अन्य बेस–धातुओं के सरमेट व उनसे बनी वस्तुएँ	2	8.14
95	साल्ट, सल्फर, मृदा व स्टोन प्लास्टरिंग सामग्री, चूना व सीमेंट	8	193.25
96	तैयार पंख तथा पंखों से बनी वस्तुएँ या कृत्रिम फूल या मानव बालों से बनी वस्तुएँ	7	36.23

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	प्रस्ताव (संख्या)	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
97	लकड़ी या अन्य फाइबर सेल्युलोज मटेरियल या रद्दी/कचरे व रद्दी कागज या पेपरबोर्ड से बनी लुगदी (पल्प)	4	106.18
98	अंतर्भूत, कोटेड या लेमिनेटेड कपड़ें, इसी प्रकार के औद्योगिक उपयोग के उपयुक्त कपड़ें	7	136.85
99	मानव–निर्मित स्टेपल फाइबर्स	10	65.50
100	पशु–उत्पत्तियों के उत्पाद, जिनका अन्यथा कहीं उल्लेख न किया गया हो या शामिल न किया गया हो	5	71.55
101	जैविक रसायन (ऑर्गेनिक केमिकल्स)	2	5.95
102	प्रोजेक्ट इंपोर्ट, प्रयोगशाला रसायन यात्री सामान विमान से व्यक्तिगत इंपोर्टेशन या पोस्ट शिप स्टोर	3	20.87
103	आईटी एवं सॉफ्टवेयर	11,186	94,455.37
104	लौह एवं इस्पात	434	2,599.61
105	विविध खाद्य सामग्री	3,145	6,531.19
106	कॉर्क एवं कॉर्क की वस्तुए	3	41.14
107	अनाज/धान्य, आटा, माढ़/स्टार्च या दूध से बनी चीजें, पेस्ट्री कुक्स उत्पाद	825	2,517.40
108	लौह एवं इस्पात की वस्तुए	1,013	5,570.44
109	मिनिरल ईंधन, मिनिरल ऑयल तथा उत्पाद उनके आसवन बिटुमिनस पदार्थ मिनिरल मोम	34	495.84
110	फोटोग्राफिक या सिनेमेटोग्राफिक सामान	521	1,168.58
111	साबुन, जैविक सर्फेस एक्टिव एजेंट, धुलाई सामग्री, ल्युब्रिकेटिंग सामग्री, कृत्रिम मोम	278	718.92
112	बेस धातु से बनी अनेक वस्तुए	163	933.51
113	धर्म–शोधन या डाइंग अर्कतथा उनके व्युत्पन्न डाई, पिगमेंट, कलरिंग मैटर, पेन्ट, वानिश पट्टी, अन्य मैस्टिक्स स्याहियां	85	580.25
114	कांच व उससे बनी वस्तुंए	87	459.64
115	जीवित पशु	42	83.82
116	फर्कस्किन या उससे बनी कृत्रिम वस्तुएं	4	4.30
117	खाद्य सब्जियां और कुछ जड़ें एवं कंद	100	158.43
118	हवाईजहाज, अंतरिक्षयान और उसके उपस्कर	4	27.60
119	हथियार एवं गोला बारूद एवं उसके उपस्कर	5	40.95
120	कोको तथा कोको की वस्तुएँ	12	42.90
121	रेलवे या ट्रामवे के अतिरिक्त अन्य वाहन या रोलिंग स्टॉक तथा उसके पार्ट व एसेसरीज	7,419	42,858.33
122	अन्य बनीबनाई टैक्सटाइल्स वस्तुएँ, पहने हुए कपड़े तथा टैक्सटाइल्स वस्तुएँ	104	522.42
123	चीनी तथा चीनी से बनी चीजें	33	202.79
124	मछली तथा कड़े खोल वाले जीव, सीप, घोंघा व अन्य पानी के अकशेरुकी जीव	43	85.81
125	जूते–चप्पल, पैरों में पहने जाने वाली अन्य वस्तुएँ व उनके भाग	60	374.70
126	पेय–पदार्थ, स्प्रिट तथा सिरका (विनेगर)	51	525.12
127	दीवार घडियाँ हाथ, घडियाँ व उनके पार्ट	9	75.48
128	कालीन/कार्पेट तथा जमीन पर बिछाए जाने वाले अन्य टैक्सटाइल उत्पाद	28	77.58
129	अकार्बनिक रसायन, मूल्यवान धातुओं, दुर्लभ धातुओं, या रेडियोएक्टिव अवयवों या आइसोटॉप के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक	2	104.80
130	उर्वरक (खाद)	11	60.95
131	लकड़ी और लकड़ी चारकोल के उत्पाद	944	2,973.40
132	फर्नीचर, विस्तरें, दरियां, दरी सुपरऑर्ट, तकिया और समान भरी हुई वस्तुंए, लैम्प, लाइटिंग फिटिंग्स, प्रीफैब्रिकेटेड भवन	828	3,416.53

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रस्ताव (संख्या)	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
133	परिधान तथा वस्तु उपस्कर की वस्तुंए, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए वस्त्र	2,280	4,691.07
134	विद्युत मशीनरी तथा उपकरण, ध्वनि रिकार्डर, रिप्रोडयूसर, टेलीविजन, इमेज या भाग	1,257	3,999.99
135	बुने हुए या क्रोशिया किए हुए उत्पाद	481	2,396.63
136	लकड़ी या अन्य फाइबर सेल्युलोज सामग्री या रद्दी/कचरे व रद्दी कागज या पेपरबोर्ड से बनी लुगदी	24	259.52
137	चीनी एवं मिठाईयां	163	506.98
138	सुगंधित तेल और रालनुमा चीजें इत्र कास्मैटिक्स या शौचालय उत्पाद	210	599.41
139	मानव–निर्मित स्ऐपल फाइबर्स	24	161.28
140	मानव–निर्मित तंत	30	251.92
141	तंबाकू तथा विनिर्मित तंबाकू विकल्प चीजें	508	240.33
142	वाद्य यंत्रों के पुर्जे तथा सहायक वस्तुएं एवं इसी प्रकार की वस्तुएं	101	199.20
143	खाद्य फल तथा सूखे मेवे, सिट्रस फल या खरबूज	167	793.60
144	अन्य वेजिटेबल कपड़ा फाइबर पेपर यार्न और पेपर यार्न के बुने हुए कपडे	221	339.21
145	स्ट्रॉ, एस्पार्टो या अन्य प्लेटिंग मटेरियल से बनी बास्केटवेयर व विकरवर्क उत्पाद	75	139.09
146	अकार्बनिक रसायन, मूल्यवान धातुओं, दुर्लभ धातुओं, या रेडियोएक्टिव अवयवों या आइसोटॉप के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक	7	164.59
147	फोटोग्राफिक या सिनेमेटोग्राफिक वस्तुएँ	168	471.97
148	बेस–धातु की विविध वस्तुएँ	61	603.16
149	विद्युत मशीनरी तथा उपकरण, ध्वनि रिकॉर्डर, रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज व पार्ट	296	2,274.42
150	मिट्टी से बने (सिरेमिक) उत्पाद	25	346.34
151	पक्षियों के अंडे, प्राकृतिक शहद, पशुओं से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ	40	133.27
152	विविध विनिर्मित वस्तुएँ	76	345.00
153	खिलौने, खेल तथा खेल–उपकरण व उनके विभिन्न सहायक उपकरण (एसेसरीज)	18	134.60
154	हैडगियर तथा उसके भाग/पार्ट	1	2.50
155	अयस्क, लावा तथा राख	13	293.50
156	टिन तथा उससे बनी वस्तुएँ	5	95.25
157	प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुएं	431	5,271.56
158	परिधान तथा वस्त्र एसेसरीज की वस्तुएँ, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए वस्त्र	901	1,741.83
159	ममुद्रित पुस्तकें, समाचारपत्र, चित्र एवं मुद्रण उद्योग के अन्य उत्पाद, पांडुलिपियां, टाइपस्क्रिप्ट तथा प्लान्स	939	5,416.62
160	प्राकृतिक या प्रसंस्कृत मोती, मूल्यवान, अर्ध–मूल्यवान पत्थर, मूल्यवान धातुएं, मूल्यवान धातुओं वाली धातु कालीन, नकली गहने की वस्तुएं सिक्के	339	926.49
161	टिन और टिन से बनी वस्तुएं	13	166.92
162	विविध रासायनिक उत्पाद	87	1,237.13
163	हैडगियर और उसके भाग	9	16.63
164	परिधान तथा वस्तु उपस्कर की वस्तुंए, बुने हुए या क्रोशिया किए हुए वस्त्र	434	1,976.44
165	पशु या वनस्पति वसाएँ (फैट) और तेल व उसके अन्य संगत उत्पाद, तैयार खाद्य वसाएँ (फैट), पशु या वनस्पति मोम (वैक्स)	12	186.90
166	एल्युमीनियम तथा उससे बनी वस्तुएँ	46	549.85
167	कपास	43	552.11
168	अस्तर, कंबल तथा गैर–बुने हुए विशेष धागेध्यार्न ट्विन, रस्से तथा केबल व उनसे बनी वस्तुएँ	12	148.95

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	प्रस्ताव (संख्या)	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
169	जस्ता (जिंक) तथा उससे बनी वस्तुएँ	4	125.60
170	ऊन, पशुओं के परिष्कृत बाल, घोडे के बाल, सूत तथा बुने कपडे	154	159.18
171	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टर, माइका या इसी प्रकार की सामग्री से बनी वस्तुएं	613	4,442.64
172	पक्षियों के अंडे, प्राकृतिक शहद, पशुओं से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ	71	218.67
173	तेल बीज तथा तेलीय फल, विविध अनाज, बीज तथा फल औद्योगिक या औषधीय पौधे स्ट्रा एवं चारा	156	1,195.26
174	रबड़ और रबड़ से बनी वस्तुए	179	1,513.78
175	खिलौने, खेल तथा खेल उपकरण एवं उनके विभिन्न सहायक उपकरण	135	438.74
176	कार्बनिक रसायन	33	177.66
177	अस्तर, कंबल तथा गैर–बुने हुए विशेष धागे/रस्से तथा केबल व उनसे बनी वस्तुएं	22	323.59
178	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर व उसकी मशीनरी तथा मैकेनिकल उपकरण और उसके पुर्जे	66	679.68
179	लाख, गोंद, रेजिन और अन्य सब्जियों के रस तथा तत्व	13	68.51
180	अंतर्भूत, कोटेड, कवर्ड या लेमिनेटेड टैक्सटाइल्स कपड़े, इसी प्रकार के औद्योगिक उपयोग के उपयुक्त कपड़े	25	131.19
181	कागज (पेपर) तथा पेपरबोर्ड, कागजी–लुगदी या पेपरबोर्ड लुगदी से बनी वस्तुएँ	121	1,517.01
182	कांच तथा कांच से बनी वस्तुएँ	21	277.40
183	तेल–बीज तथा तेलीय फल विविध अनाज, बीज तथा फल औद्योगिक या औषधीय पौधे, स्ट्रॉ तथा फोडर	47	457.79
184	खाद्य फल तथा सूखे मेवे, सिट्रस फल या तरबूज या खरबूज के छिलके	24	74.57
185	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टर, माइका या इसी प्रकार की सामग्री से बनी वस्तुएँ	159	1,604.12
186	रेशम (सिल्क)	64	38.95
187	खाद्य उद्योगों के अवशिष्ट/बचे हुए पदार्थ तथा उससे निकले बेकार पदार्थ, पशु चारा/आहार	5	53.00
188	खाद्य शाक/सब्जियाँ तथा विशेष जड़ें/मूल तथा कंद	6	9.75
189	शाक प्लेटिंग सामग्रियाँ, शाक उत्पाद, जो अन्यथा कहीं निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं	7	46.45
190	जीवित पेड़ तथा अन्य पौधों के भाग, जड़ें तथा कट–फूल तथा ऑर्नामेंटल पर्णसमूह	18	24.95
191	मानव–निर्मित तंतु (फिलामेंट)	5	9.70
192	एक्सप्लोसिव पायरोटेकनिक उत्पाद पायरोफोरिक एलाय विशिष्ट कॉम्बुस्टिबल प्रिपरेशन	2	14.90
	कुल	**27,72,744**	**1,28,78,723.49**

* अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

अनुलग्नक - V

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान स्लैब–वार गारंटी अनुमोदित तथा यथा 31 मार्च 2017 तक का संचयी

क्र॰ सं॰	दायरा	वित्तीय वर्ष 2016–17		मार्च 2017 को संचयी	
		प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	0-100,000/-	1,75,554	95,259.43	10,31,319	5,16,503.17
2	1,00,001-2,00,000/-	97,181	1,61,561.74	6,20,599	9,71,292.45
3	2,00,001-5,00,000/-	86,484	3,28,885.00	5,59,988	20,49,871.57
4	5,00,001-10,00,000/-	58,105	4,52,972.43	2,95,491	22,57,525.09
5	10,00,001-15,00,000/-	10,560	1,39,808.38	84,572	11,19,224.75
6	15,00,001-25,00,000/-	13,166	2,74,715.97	1,03,027	21,21,839.11
7	25,00,001-50,00,000/-	8,006	3,03,039.82	54,776	20,79,679.68
8	50,00,001-1,00,00,000/-	2,990	2,23,802.74	22,871	17,46,814.26
9	1,00,00,001-2,00,00,000/-	81	13,103.40	101	15,973.40
	कुल	**4,52,127**	**19,93,148.91**	**27,72,744**	**1,28,78,723.48**

* अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकता है।

एनबीएफसी–सीजीएस II के लिए एनबीएफसी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

CGTMSE

खातों का विवरण

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

के एस संघवी
बी कॉम (हॉन) एलएलबी, एफसीए

एच ए दोषी
बी कॉम, एफसीए

एस बी शेठिया
बी कॉम, एफसीए

टी के संघवी
बी कॉम, एसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)

लेखा परीक्षा रिपोर्ट
के एस संघवी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ए–218/अंधेरी लिंक रोड, एवेरेस्ट गार्डन के पीछे,
घाटकोपर (पू), मुम्बई 400 075
दूरभाष : 25004144, 2500 4344
फैक्स : 91–22–25006024
ई–मेल: kssco@vsnl.com; kssco@mtnl.net.in

==

प्रति,
न्यासी बोर्ड
सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
मुम्बई

1. हमने यथा 31 मार्च 2017 की यथास्थिति सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के संलग्न् तुलनपत्र और उसके साथ संलग्नक इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण दोनों की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी न्यासी प्रबन्धन की हैं। हमारा दायित्व यह है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अभिमत व्यक्त करें।

2. भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा–परीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के तथ्यगत मिथ्याकथनों से मुक्त होने के विषय में समुचित रूप से आश्वस्त हुआ जा सके। लेखा–परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय विवरणों में घोषणाओं और धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों को शामिल किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ–साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमे विश्वांस है कि हमारी लेखापरीक्षा युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :

क) ₹11,03,808 की रसीद लंबित विनियोग राशि के संदर्भ में सूचना के अलावा हमने वे सभी जरूरी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी इस लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे;

ख) हमारा अभिमत है कि खाताबहियों की हमने जो जांच की, उससे यही प्रतीत होता है कि ट्रस्ट ने कानूनन अपेक्षित समुचित खाताबहियों का रखरखाव किया है;

ग) इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्याय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण का उल्लेरख है वह खाताबहियों के अनुरूप है; और

घ) हमारी राय में वित्तीय विवरणों और उनके साथ पठित टिप्पणियां भारत में सामान्यतः स्वीकार्यलेखांकन–सिद्धांतों के अनुरूप सत्यं एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करती हैं :

I. तुलनपत्र के मामले में यथा 31 मार्च 2017 को ट्रस्ट के कामकाज के बारे में;
II. आय और व्यय लेखों के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के अधिशेष के बारे में; और
III. नकदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के नकदी प्रवाह के बारे में।

कृते के एस संघवी एन्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं.116714W

तपन संघवी
साझेदार
सदस्य संख्या : 122244

स्थान : मुंबई
दिनांक : जुलाई 19, 2017

तुलनपत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

31 मार्च 2017 की स्थिति का तुलनपत्र

विवरण	अनुसुचियां	31.03.2017 को		31.03.2016 को	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
निधियों का स्रोत					
समूह निधि	1		34,68,86,04,114		33,75,25,38,951
सामान्य निधियां	2		74,20,662		74,20,662
चालू देयताएं और प्रावधान	3		18,84,73,33,785		18,20,71,11,289
कुल			**53,54,33,58,561**		**51,96,70,70,902**
निधि का अनुप्रयोग					
स्थिर आस्तियां					
कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर		2,40,97,314		1,84,83,034	
घटाएंः मूल्यह्रास आरक्षिती		1,84,48,240	56,49,074	1,79,82,785	5,00,249
फर्नीचर और जुड़नार		12,37,595		12,37,595	
घटाएं : मूल्यह्रास आरक्षिती		2,35,689	10,01,906	12,08,022	29,573
मोटर कार		12,66,029		12,66,029	
घटाएं मूल्यह्रास		4,15,648	8,50,381	5,06,410	7,59,619
बिजली के उपकरण		12,20,036		11,85,559	
घटाएंः मूल्यह्रास		2,67,926	9,52,110	8,54,270	3,31,289
			84,53,471		**16,20,730**
निवेश	4		**49,28,11,93,135**		**48,11,62,64,596**
चालू आस्तियां					
रोकड़ शेष			2,687		3,066
बैंक में शेष राशि	5		2,38,72,935		23,05,602
उपचित आय	6		29,77,926		45,76,016
प्राप्य राशियां	7		16,93,86,255		20,03,99,992
जमा राशियां (किराया)			70,20,000		70,20,000
गारंटी दावों का अग्रिम भुगतान			6,36,637		8,81,887
कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम	8		4,04,98,15,515		3,63,39,99,013
कुल			**53,54,33,58,561**		**51,96,70,70,902**
लेखे से संबद्ध टिप्पणियां	10		-		0

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

उक्त तुलनपत्र और इससे संलग्न सभी अनुसूचियों का हम एतदद्वारा सत्यापन करते हैं

कृते के एस संघवी एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 116714W

ट्रस्टी बोर्ड की ओर से

ह/-
अजय के. कपूर
अध्यक्ष

(तपन संघवी, एम नं. 122244)
पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : जुलाई 19, 2017

ह/-
(एस. एन त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

ह/-
(पी ए मालगांवकर)
सदस्य सचिव

आय और व्यय

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

31 मार्च 2017 को आय और व्यय खाता

विवरण	अनुसुचियां	राशि (₹ में)	
		वित्त वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2015–16
आय			
निवेश पर ब्याज		4,27,25,03,159	4,38,28,38,703
म्यूचुअल फंड से आय		3,74,62,211	—
गारंटी फीस		1,74,06,47,189	1,59,66,81,636
वार्षिक गारंटी शुल्क		3,44,34,77,535	2,28,34,82,760
वार्षिक सेवा शुल्क		84,02,02,916	1,51,35,26,869
विविध आय		8,97,598	8,01,092
दंडात्मक ब्याज से आय		2,01,353	5,41,951
भुगतान किए गए दावे खाते पर एमएलआई से वसूलिया		1,25,49,54,270	57,93,65,872
वापिस लिखी गई मूल्यह्रास		27,37,771	—
		11,59,30,84,002	**10,35,72,38,883**
व्यय			
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय	9	6,72,40,352	6,87,33,326
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		11,26,11,00,000	10,20,73,00,000
अदा किए गए सेवाकर पर ब्याज		4,30,931	3,11,109
बैंक प्रभार		15,519	13,139
मूल्यह्रास		15,53,787	22,28,379
		11,33,03,40,589	**10,27,85,85,953**
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य		**26,27,43,413**	**7,86,52,930**
जोड़े/(घटाएं) : पूर्ववर्ती अवधि की मदें			-
जोड़े/(घटाएं) : गत वर्ष किया गया अधिक प्रावधान			-
कर से पूर्व अधिशेष		**26,27,43,413**	**7,86,52,930**
घटाएं : आयकर हेतु प्रावधान		1,14,20,000	-
कर पश्चात अधिशेष		**25,13,23,413**	**7,86,52,930**
घटाएं : सामान्य आरक्षितियां			-
व्यय की तुलना में आय के अधिशेष को समूहनिधि में शामिल किया गया		**25,13,23,413**	**7,86,52,930**
खातों से संबद्ध टिप्पणियां	10	-	-

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते के एस संघवी एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 116714W

(तपन संघवी, एम नं. 122244)
पार्टनर

स्थान : मुंबई
दिनांक : जुलाई 19, 2017

उक्त आय और व्यय खाते तथा इससे संलग्न अनुसूचियों का हम सत्यापन करते हैं

ट्रस्टी बोर्ड की ओर से

ह/-
अजय के. कपूर
अध्यक्ष

ह/-
(एस. एन त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

ह/-
(पी ए मालगांवकर)
सदस्य सचिव

नकदी प्रवाह

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

Amount in (₹)

विवरण	31.03.2017		31.03.2016	
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
आय एवं व्यय विवरणी के अनुसार कर से पूर्व आय पर व्यय का आधिक्य		**25,13,23,413**		**7,86,52,930**
जोडेः आय एवं व्यय खातों में नामे मूल्यह्रास	15,53,787		22,28,379	
सेवा कर पर प्रदत्त ब्याज	4,30,931		3,11,109	
आयकर के लिए प्रावधान	1,14,20,000		—	
आय एवं व्यय खातों में नामे गारंटी दावों के संबंध में प्रावधान	11,26,11,00,000		10,20,73,00,000	
घटाएं : नवेश पर ब्याज	(4,27,25,03,159)		(4,38,28,38,703)	
घटाएं : म्यूचुअल फंड से आय	(3,74,62,211)			
घटाएं : आय एवं व्यय खातों में वापिस लिखा गया मूल्यह्रास	(27,37,771)			
		6,96,18,01,577		**5,82,70,00,785**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व नकदी प्रवाह		**7,21,31,24,990**		**5,90,56,53,715**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
उपचित आय में वृद्धि/कमी	15,98,090		67,94,945	
प्राप्य राशियों में वृद्धि/कमी	3,10,13,737		(1,67,58,529)	
गारंटी दावों के अग्रिम भुगतान में वृद्धि/कमी	2,45,250		(4,35,926)	
कर प्राधिकरणों से वापसी–योग्य रकम में वृद्धि/कमी	—		3,94,477	
वर्तमान देयताओं में वृद्धि/कमी	18,61,653		(15,91,98,295)	
		3,47,18,730		**(16,92,03,328)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पश्चात नकदी प्रवाह में परिवर्तन		**7,24,78,43,720**		**5,73,64,50,387**
घटाएं : वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे	(10,622,739,157)		(10,04,73,85,154)	
कर की अग्रिम अदायगी	(4,27,236,502)		(43,66,85,299)	
		(11,04,99,75,659)		(10,48,40,70,453)
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह (क)		**(3,80,21,31,939)**		**(4,74,76,20,066)**
निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थिर आस्तियां	(56,48,757)		(13,42,143)	
वर्ष के दौरान निवेश में परिवर्धन	(1,16,49,28,539)		(6,09,33,851)	
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नकद प्रवाह (ख)		**(1,17,05,77,296)**		**(6,22,75,994)**
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह				
वर्ष के दौरान समूह निधि में की गई वृद्धि	6,84,7,41,750		42,48,75,000	
सामान्य आरक्षित निधि में परिवर्तन	—		(40,438)	
सेवा कर पर आदा किया गया ब्याज	(4,30,931)		(3,11,109)	
म्यूचुअल फंड पर ब्याज आय	3,74,62,211		—	
निवेश पर ब्याज आय	4,27,25,03,159		4,38,28,38,703	
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाह (ग)		**4,99,42,76,189**		**4,80,73,62,156**
वर्ष के दौरान नकद प्रवाह में हुई निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**2,15,66,954**		**(25,33,904)**
नकद एवं नकद समुतुल्य का आरंभिक शेष		23,08,668		48,42,572
नकद एवं नकद समुतुल्य का अंतिम शेष		**2,38,75,622**		**23,08,668**

टिप्पणियां :

1. नकद राशियों एवं बैंक में शेष राशियों को शामिल करते हुए नकद राशियां एवं नकद समतुल्य
2. कोष्ठक में दिए गए आंकडे नकद राशियों के बहिर्गमन को दर्शाते हैं।
3. निम्नलिखित को शामिल करते हुए 31 मार्च, 2017 को नकद राशियां एवं नकदी समतुल्य राशियां

	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
नकद राशियां	2,687	3,066
बैंक में शेष	2,38,72,935	23,05,602
कुल	**2,38,75,622**	**23,08,668**

4. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों का समूहन किया गया है।

उक्त नकद प्रवाह विवरण हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार तैयार की गई है।

कृते के एस संघवी एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 116714W

ट्रस्टी बोर्ड की ओर से

	ह/-	ह/-	ह/-
तपन संघवी	अजय के. कपूर	एस. एन त्रिपाठी	पी ए मालगांवकर
पार्टनर (सदस्यता सं. 122244)	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य सचिव

स्थान : मुंबई
दिनांक : जुलाई 19, 2017

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण		31.03.2017 को (₹)	31.03.2016 को (₹)
अनुसूची : 1			
समूहनिधि			
निम्नलिखित से प्राप्त :			
भारत सरकार		20,00,00,33,000	19,35,97,33,000
सिडबी		5,00,00,00,000	4,95,55,58,250
(सिडबी से आरएसएफ1 एवं आरएसएफ2 के लिए प्राप्त क्रमशः ₹ 25,00,00,000 एवं ₹ 7,77,50,000)			
	(a)	**25,00,00,33,000**	**24,31,52,91,250**
व्यय की तुलना में आय का अधिक्य			
आगे लायी गई राशि शेष		9,43,72,47,701	9,35,85,94,771
जोड़ें : वर्तमान वर्ष का अतिशेष		25,13,23,413	7,86,52,930
	(b)	**9,68,85,71,114**	**9,43,72,47,701**
	(a + b)	**34,68,86,04,114**	**33,75,25,38,951**
अनुसूची : 2			
सामान्य आरक्षितियां			
आगे लायी गई राशि शेष		74,20,662	74,61,100
जोडें : आय एवं व्यय खाते से अंतरित	—	—	
घटाएं :– पूर्व अवधि की मदें		—	(40,438)
		74,20,662	**74,20,662**
अनुसूची : 3			
चालू देयताएं और प्रावधान			
गारंटी दावों के लिए प्रावधान (अनुसूची 10 की टिप्पणी 8 भी देखिए)		17,98,45,15,536	17,34,61,54,693
व्यय के प्रति बकाया देयताएं		51,39,666	33,79,602
सिडबी को प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि		24,18,524	29,81,737
देय गारंटी दावे		54,61,344	5,11,18,608
देय टीडीएस		8,07,927	6,77,281
देय व्यावसायिक कर		6,700	700
लौटाई जाने योग्य गारंटी फीस		13,36,043	13,66,171
लौटाई जाने योग्य वार्षिक सेवा फीस		1,82,53,734	6,47,65,855
डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा) भारत सरकार से जीएफ व एएसएफ के लिए प्राप्त अग्रिम		47,87,350	52,61,034
एजीएफ के लिए प्राप्त अग्रिम		82,08,87,958	72,99,83,894
देय सेवाकर		20,36,231	9,90,530
समायोजन के लिए बकाया प्राप्तियां		11,03,808	4,31,184
जीएफ विनियोजन खाता		1,66,601	—
एएसएफ विनियोजन खाता		2,485	—
ब्याज कर देय		4,09,878	—
		18,84,73,33,785	**18,20,71,11,289**
अनुसूची : 4			
निवेश			
1) बैंकों में मियादी जमा में निवेश			
I) डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा) से प्राप्त अग्रिम का निवेश		25,22,785	35,38,533
II) मूलनिधि और अन्य निधियों का निवेश		48,76,36,61,165	48,06,22,46,063
2) डीआईएस के तहत आईडीबीआई में निवेश		—	5,04,80,000
3) म्यूचुअल फंड में निवेश		51,50,09,185	—
(म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार मूल्य : ₹ 51,72,65,325)			
		49,28,11,93,135	**48,11,62,64,596**

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	31.03.2017 को (₹)	31.03.2016 को (₹)
अनुसूची : 5		
बैंक में जमाशेष		
चालू खाते में :		
आईडीबीआई बैंक लि.	1,46,86,061	20,16,701
आईडीबीआई बैंक लि.,–डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार	4,67,749	—
आईडीबीआई बैंक लि.,– डीसी (हथकरघा)	3,58,503	2,88,901
कॉर्पोरेशन बैंक	83,60,622	—
	2,38,72,935	**23,05,602**
अनुसूची : 6		
उपचित आय		
प्राप्य वार्षिक सेवा शुल्क	26,76,676	41,28,318
प्राप्य वार्षिक शुल्क	3,01,250	4,47,698
	29,77,926	**45,76,016**
अनुसूची : 7		
प्राप्य धनराशियां		
पूर्वदत्त व्यय	3,67,748	82,067
प्राप्य गारंटी दावे	17,77,269	11,661
प्राप्य गारंटी शुल्क	5,111	40,316
प्राप्य सेनवेट क्रेडिट हेतु प्रावधान	10,00,594	6,75,094
प्रतिभार सेवाकर	8,16,23,084	9,59,87,803
सेवाकर (ईसी/एसएचसीई)	31,36,145	28,79,349
वसूली योग्य सेवाकर	8,14,76,304	10,07,23,702
	16,93,86,255	**20,03,99,992**
अनुसूची : 8		
कर प्राधिकरणों से प्राप्त होने वाली धनराशि		
वापसी योग्य आयकर 31.3.07	8,68,43,908	8,68,43,908
वापसी योग्य आयकर 31.3.08	3,99,29,054	3,99,29,054
वापसी योग्य आयकर 31.3.09	2,21,18,100	2,21,18,100
वापसी योग्य आयकर 31.3.13	23,72,09,453	23,72,09,453
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31.3.10	1,52,88,27,407	1,52,88,27,407
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31.3.11	51,48,14,555	51,48,14,555
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31.3.13	2,19,876	2,19,876
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31.3.14	1,43,95,52,963	1,43,95,52,963
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31.3.15	43,95,61,396	43,95,61,396
टीडीएस भुगतान 31.03.2016	43,66,85,299	43,66,85,299
टीडीएस भुगतान 31.03.2017	42,72,36,502	—
(क)	**5,17,29,98,513**	**4,74,57,62,011**
घटाएं : टैक्स हेतु प्रावधान 31.03.10	1,11,17,62,998	1,11,17,62,998
टैक्स हेतु प्रावधान 31.03.17	1,14,20,000	—
(ख)	1,12,31,82,998	**1,11,17,62,998**
कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य राशियां (क)–(ख) =	**4,04,98,15,515**	**3,63,39,99,013**

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	31.03.2017 को (₹)	31.03.2016 को (₹)
अनुसूची : 9 **परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय**		
एसीएसआईसी व्यय	5,11,737	4,70,366
एटीपी व्यय	—	26,51,703
विज्ञापन और प्रचार व्यय	52,044	1,98,001
लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक	3,10,000	3,10,000
बोर्ड बैठक पर व्यय	—	41,425
आवागमन और वाहन पर व्यय	4,33,272	3,92,821
कूरियर/डाक प्रभार	83,962	1,20,038
बिजली संबंधी व्यय	11,30,670	11,78,856
बीमा प्रभार	27,476	36,200
आंतरिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	2,85,000	2,85,000
आईटी सेवा	95,46,053	84,88,320
सदस्यता शुल्क	1,00,000	1,76,320
विविध व्यय	9,43,818	13,55,503
परिसर रख–रखाव व्यय	6,03,839	8,64,780
कार्यालय व्यय	13,54,287	16,45,151
कार्यालय का किराया	1,40,40,000	1,48,70,770
कार्मिकों पर लागत और व्यय	3,51,41,826	32,2,96,631
मुद्रण और लेखनसामग्री	4,89,609	8,67,850
वकील शुल्क	1,60,000	2,95,000
व्यावसायिक फीस	8,98,167	9,04,900
सुरक्षा व्यय	2,65,416	2,49,916
टेलीफोन पर व्यय	2,50,891	4,60,229
यात्रा संबंधी व्यय	6,12,285	5,73,546
	6,72,40,352	**6,87,33,326**

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र के निर्धारक भाग का समूहन

विवरण	31.03.2017 को (₹)	31.03.2016 को (₹)
सूची 1 : कार्मिक व्यय		
कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते	1,44,77,426	2,01,99,735
संविदा पर रखे गए स्टाफ को वेतन और भत्ते	1,95,84,240	1,01,65,672
स्टाफ आवास किराया	—	6,17,952
स्टाफ चिकित्सा व्यय	9,500	89,499
मनोरंजन व्ययों की प्रतिपूर्ति	5,250	45,002
बीमा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	52,925	2,969
मोबाइल फोन व्यय	2,250	92,128
टेलीफोन व्ययों की प्रतिपूर्ति	12,621	—
यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति	—	29,250
वाहन रख–रखाव व्ययों की प्रतिपूर्ति	—	12,568
स्टाफ प्रोत्साहन	—	75,000
कूपन व्यय (सोडेक्सो)	9,97,614	9,66,856
	3,51,41,826	**3,22,96,631**
सूची 2 : विविध व्यय		
टीडीएस पर ब्याज	54,470	2,163
अपील शुल्क	3,450	11,500
मरम्मत और रख–रखाव	1,34,880	1,66,712
अन्य व्यय	25,043	3,57,364
स्टाफ कल्याण	3,70,690	4,94,188
सेवा कर व्यय	—	2,19,816
स्वच्छ भारत उपकर	2,72,874	1,03,760
विविध व्यय	82,411	—
	9,43,818	**13,55,503**
सूची 3 : मुद्रण और लेखनसामग्री		
मुद्रण व्यय	1,79,876	3,45,413
लेखनसामग्री और कम्प्यूटर उपभोज्य	3,09,733	5,15,884
पुस्तकें और आवधिक प्रकाशन	—	6,553
	4,89,609	**8,67,850**
सूची 4 : विविध आय		
विविध प्राप्तियां	6,67,654	22,402
विविध आय	—	2,00,000
एटीपी शुल्क	—	5,54,580
निविदा शुल्क	13,500	2,500
विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ	—	9,205
सेवा (संविदागत) में विलंब हेतु दंड	2,16,444	12,405
	8,97,598	**8,01,092**
सूची 5 : बकाया देयताएं (व्यय)		
के.एस. संघवी एंड कंपनी	3,25,500	3,23,950
ईएसडीएस	—	15,675
जी ए डिजीटल वेब वर्ल्ड	—	8,19,245
के ए पंडित	31,500	—
खंडेलवाल जैन एंड कम्पनी	3,67,500	3,13,500
कोचर एंड एसोसिएट	4,200	—
बकाया देयताएं	—	5,07,918
ईएमडी अनुबंध	—	41,000
पाथ इंफोटेक	1,886,793	3,01,056
पी भाटिया एंड कम्पनी	5,250	5,225
रिलायंस कम्युनीकेशन लिमिटेड	4,75,000	4,50,958
प्रोफेशनल कूरियर्स	11,186	10,487
ओरिएंट टेक्नोलॉजिस	—	49,272
ओमनीटेक इंफोसोलूशन	—	3,56,346
एम पी चितले	6,55,201	—
अनुबंध कर्मचारियों को वेतन देय	—	1,48,970
टी एंड एम सर्विस कनसल्टींग प्रा. लि.	8,94,008	—
टीएलसी लिगल	—	36,000
सीएनके एंड एसोसिएटस एलएलपी	1,68,000	—
बकाया देयताएं	3,15,528	—
	51,39,666	**33,79,602**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र और आय तथा व्यय खाते की अनुसूची

अनुसूची : 10 – खातों पर टिप्पणियां :

1. विशिष्ट लेखांकन नीतियां

क) लेखांकन परिपाटियां

ऐतिहासिक लेखांकन के साथ–साथ सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है।

ख) आय और व्ययों का निर्धारण

न्यास लेखांकन के व्यापारिक आधार का अनुपालन करता है, जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो। न्यास के आय के मुख्य स्रोतों का आय–निर्धारण निम्नवत् है :

- **गारंटी शुल्क :** संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से भुगतान प्राप्त होने और बैंक खाते में जमा होने के पश्चात गारंटी शुल्क से आय का निर्धारण किया जाता है।
- **मियादी जमाराशियों पर ब्याज आय :** मियादी जमाराशियों पर ब्याज आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है।
- **भुगतान किए गए दावों पर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से वसूली :** सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से की गई वसूली पर आय का निर्धारण तब किया जाता है, जब राशि की वसूली हो जाती है।
- **म्युचुअल फंड से आय :** म्युचुअल फंड की यूनिटों के मोचन के समय पूँजीगत लाभ के परिकलन के प्रयोजन से म्युचुअल फंड की लागत की गणना भारित औसत के आधार पर की जाती है। लाभ का निर्धारण मोचन पर किया जाता है।

ग) स्थिर आस्तियाँ

वित्तीय विवरणियों में स्थिर आस्तियों का निर्धारण लागत पर किया गया है। लागत में खरीद, भाड़ा, परिवहन और उसे वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने पर हुई अन्य लागतें शामिल हैं।

स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपयोगी आयु के आधार पर लगाया जाता है। वर्ष के दौरान, न्यास ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप मूल्यह्रास की पद्धति में परिवर्तन किया है। मूल्यह्रास का परिकलन पूर्वव्यापी प्रभाव से किया गया है और बेशी मूल्यह्रास वर्ष के दौरान आय और व्यय लेखों में वापिस अंकित किया गया है।

घ) निवेश

न्यास के निवेशों में बैंकों में सावधि जमा राशियाँ में निवेश और म्युचुअल फंडों में निवेश शामिल है।

म्युचुअल फंडों में निवेश भारित औसत लागत में से वर्ष के दौरान हुई हानि, यदि कोई हो, घटाकर या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर वर्णित है। मियादी जमा राशियों में निवेश लागत तथा उस पर उपचित ब्याज के साथ वर्णित है। विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार के कार्यालयों से प्राप्त निधियों से संबंधित निवेश तुलनपत्र में अलग से दर्शाए गए हैं।

ड.) पूर्ववर्ती अवधि का समायोजन

पूर्ववर्ती / विगत वर्षों से संबंधित व्यय और आय को पूर्ववर्ती अवधि की मदों के तौर पर हिसाब में लिया गया है।

च) **सेवानिवृत्ति लाभ**

इस ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर आए अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ सिडबी प्रदान करता है और प्रतिपूर्ति के आधार पर इसे आय–खाते में वार्षिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

छ) **आस्थगित कर**

आस्थगित कर को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह निश्चित नहीं होता कि भावी करयोग्य आय के सम्मुख आस्थगित आस्तियों की उगाही हो ही जाए अथवा आस्थगित देयताओं का निपटान हो जाए।

2 ट्रस्ट को संचयी आधार पर 31 मार्च 2017 तक 84 सदस्य ऋणदाता संस्थानों से 1,56,447 (गत वर्ष 1,17,822) दावा–आवेदन प्राप्त हुए। ट्रस्ट ने मुख्य रूप से प्रथम किस्त के रूप में 1,36,408 पात्र–दावों (गत वर्ष 98,272) के लिए ₹ 3,529 करोड़ (गत वर्ष ₹ 2486.78 करोड़) का निपटान किया। सदस्य ऋणदाता संस्थानों ने 232 आवेदन वापस लिए। प्रतिभूति के बारे में विवरण/अनुदान राशि के बारे में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई और इसलिए दावों को अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया। मार्च 31, 2017 की यथास्थिति के अनुसार 2546 (गत वर्ष 1027) आवेदन निपटान के लिए लंबित थे, जो बाद में निपटाए गए।

3.

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
गारंटी अनुमोदन यथा	1,28,787	1,09,598
जारी की गई गारंटी यथा	1,17,993	99,453
स्वीकृत गारंटी, कार्यान्वयन बकाया यथा	10,794	10,145
बकाया गारंटी यथा	67,762	62,318
बकाया गारंटी से सीजीटीएमएसई की देयता	49,567	45,271
प्रथम दावा किस्त के प्रति सीजीटीएमएसई की देयता	37,175	33,953

रोके गए दावों के प्रावधानों के अतिरिक्त, दी गई/स्वीकृत गारंटी हेतु ट्रस्ट की आकस्मिक रूप से देयता होती है, जो कि एमएसई, जिनके संरक्षण के लिए ऐसी गारंटी दी गई/स्वीकृत की गई, द्वारा गैर–निष्पादन के कारण होती हैं।

4. ट्रस्ट कार्यालय परिसर, स्टाफ और आईटी सेवा की सुविधाओं को सिडबी से प्राप्त करता है। सिडबी और ट्रस्ट के बीच 4 अक्टूबर 2001 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार ट्रस्ट की ओर से सिडबी द्वारा प्रशासनिक व्यय के रूप में, किए गए व्यय के लिए ट्रस्ट 20 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करता है, जो कि जुलाई 2009 तक सीधे ही ट्रस्ट के कार्यों के लिए किए जाते थे। हालांकि आपस में मिलकर किए गए निर्णय के अनुसार अगस्त 2009 से इसे समाप्त कर दिया गया।

5. ट्रस्ट पहली बार में निपटाए गए दावे के 75 प्रतिशत का भुगतान करता है, शेष राशि का भुगतान सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में किया जाता है। 725 मामलों में (गत वर्ष 106 मामले) 25 प्रतिशत का परावर्ती भुगतान किया गया। हालांकि, अन्य मामलों में सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन अभी किया जाना है, जिससे वे शेष रकम को प्राप्त करने के पात्र बनते हैं।

6. लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक ₹ 3,10,000/- (गत वर्ष ₹ 3,10,000/-)

(₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
लेखा परीक्षा फीस	2,50,000	2,50,000
टैक्स ऑडिट फीस	60,000	60,000
सेवा कर	46,500	44,950
कुल	**3,56,500**	**3,54,950**

7. कराधान

7.1 प्रत्यक्ष कराधान

ट्रस्ट को वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 01.04.2002 से आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") की धारा 10(23ईबी) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002–03 से निर्धारण वर्ष 2006–07 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 10(23ईबी) के अंतर्गत ट्रस्ट की आय को छूट दी गई थी।

ट्रस्ट को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और तदनुसार इसने निर्धारण वर्ष 2007–08 तथा निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिए अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत छूट का दावा किया। संबन्धित निर्धारण वर्षों के लिए छूट का दावा करते समय, अधिनियम की धारा 11(2) के अनुसार ट्रस्ट ने आय का 85 प्रतिशत संचय किया और इसे उन उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाना था, जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी।

वित्त अधिनियम, 2008 ने 1.4.2008 अर्थात निर्धारण वर्ष 2009–2010 से धारा 2(15) को संशोधित किया। तदनुसार, ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2009–10 के बाद धारा 11 के लाभ और आय के संचयन का दावा नहीं किया है।

आयकर निदेशक (छूट)–डीआईटी(ई)ने 07.12.2011 दिनांकित आदेशानुसार यह निष्कर्ष दिया था कि निर्धारिती ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय आदि की प्रकृति की हैं तथा धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों का संदर्भ देते हुए, इस ट्रस्ट को धारा 12ए के तहत प्रदान पंजीकरण निर्धारण वर्ष 2009–10 से वापस ले लिया था। ट्रस्ट ने इस आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील की थी। 1961 के अधिनियम की धारा 12 एए के अंतर्गत किए गए पंजीकरण को रद्द किए जाने के विरुद्ध ट्रस्ट। द्वारा आईटीएटी के समक्ष दायर की गई अपील का निर्णय ट्रस्ट के पक्ष में आदेश दिनांक 28.05.2014 के माध्यम से किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के अंतर्गत ट्रस्ट के पंजीकरण की आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) द्वारा पुर्नमान्यता के बाद, आयकर निदेशक (छूट) ने मुंबई न्याय क्षेत्र के उच्च न्यायालय में नवंबर 2014 में एक अपील दर्ज की हैइस संबंध में उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रतीक्षित है।

आकलन वर्ष 2010–11 हेतु आकलन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, आकलन अधिकारी ने ₹94,38,84,008/- और ₹1,54,61,77,037/- की अतिरिक्त राशियां जोड़ दी हैं, जो कि क्रमशः आकलन वर्ष 2007–08 एवं आकलन वर्ष 2008–09 के दौरान धारा 11(2) के अंतर्गतसंचित राशियां हैं तथा साथ ही, उन्होंने वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अवस्थापकों अर्थात, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹1,66,41,00,000/- की अतिरिक्त, राशि भी जोड़ी है। इसके पीछे यह तर्क है कि चूंकि ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 12 ए के अंतर्गत पंजीकरण को डीआईटी (ई), मुंबई ने आकलन वर्ष 2009–10 से वापस ले लिया था, अतः ट्रस्ट अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत किसी लाभ हेतु पात्र नहीं है। उक्त राशियों को जोड़े जाने के विरुद्ध, ट्रस्ट ने आयकर आयुक्त (अपील) – सीआईटी(ए) में एक अपील दायर की है तथा सीआईटी(ए) ने 28.07.2014 दिनांकित आदेश में यह कहा कि अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्ष के दौरान आय का निर्धारण लागू नहीं हो सकता और अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि छूट के दावे एकल आधार पर स्वीकार्य नहीं हो सकते। सीआईटी(ए) को उक्त दावे से अपकृत होकर ट्रस्ट ने माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जिसकी सुनवाई लंबित है। डीआईटी(ई) ने आकलन वर्ष 2010–11 हेतु माँगी गई ₹1,74,67,65,531/- की राशि के समक्ष डीआईटी (ई) ने ट्रस्ट को निदेशित किया गया था कि मार्च 2014 तक 10 किस्तों में ₹41.61 करोड़ की राशि का अंतरिम भुगतान किया जाए, जो कि ट्रस्ट ने विधिवत रूप से जमा कर दिया था। दावे की शेष राशि पर आईटीएटी ने लंबित अपील की सुनवाई होने तक स्थगन आदेश दिया है। माननीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने दिनांक 20.01.2017 के अपने आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 11 व 12 के अंतर्गत न्यास के छूट के दावे के लिए अनुमति दी है। माननीय आईटीएटी ने यह भी माना है कि चूँकि अधिनियम की धारा 11 व 12 के लाभों के लिए कर–निर्धारिती के दावे का समर्थन किया गया है, इसलिए कर–निर्धारिती की समूह–निधि में अवस्थापकों द्वारा अंशदान में परिवर्द्धन के मुद्दे पर भी कर–निर्धारिती सफल होता है। न्यास ने आईटीएटी का आदेश प्रभावी करने संबंधी आदेश पारित करने के लिए एओ के पास आवेदन दिया है, जो अभी लंबित है।

आकलन वर्ष 2011–12 हेतु आकलन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, जानकार आकलन अधिकारी ने धारा 143(3) के अंतर्गत जारी आदेश में, वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹ 2,50,00,00,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iia)के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में

आय की तरह माना गया है तथा तदनुसार ₹1,02,96,29,441/- की राशि की मांग की गई है। इस अतिरिक्त राशि के जोड़े जाने के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष एक अपील दायर की थी। माननीय सीआईटी (ए) ने आकलन वर्ष 2010–11 के सीआईटी (ए) आदेश के मद्देनजर अपील को खारिज कर दिया। ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के दावे से अपकृत होकर माननीय आईटीएटी में अपील की है जो कि अभी निपटान हेतु लंबित है। ट्रस्ट ने ₹1,02,96,29,110/- के किए गए दावे से 31.03.2015 तक ₹51,48,14,555/- की किश्तों का भुगतान कर दिया है।

आकलन वर्ष 2012–13 हेतु आकलन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, आकलन अधिकारी ने वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹2,22,50,000/- की अतिरिक्ते राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है और इस अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत छूट के दावे को खारिज करते हुए ₹10,40,35,270/- के भुगतान का दावा किया गया, जिसमें सुधार कर अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 13.10.2015 को ₹69,44,000/- का आदेश जारी किया गया। ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) से अपील की है जो निपटान हेतु लंबित है।

आकलन वर्ष 2013–14 हेतु आकलन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, आकलन अधिकारी ने वर्ष के दौरान, ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹42,77,50,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय की तरह माना गया है और इस अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत छूट के दावे को खारिज करते हुए ₹10,48,59,600/- की धन वापसी निर्धारित की गई जिसे आकलन वर्ष 2011–12 की लंबित मांग राशि के विरुद्ध समायोजित किया गया। इस अतिरिक्त दावे के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) से अपील की है जो निपटान हेतु लंबित है।

निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारण कार्यवाहियाँ संपन्न करते समय, कर–निर्धारण अधिकारी ने अवस्थापकों द्वारा न्यास की समूह–निधि में योगदान रूपी ₹93,73,75,000/- की राशि को अधिनियम की धारा 2(24)(iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक योगदान मानते हुए उसे संयोजित किया है, और ₹52,17,58,560/- की वापसी निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने ₹55,02,16,378/- की विवरणीगत हानि के प्रति शून्य की विवरणीगत आय मानी है। उक्त संयोजन के विरुद्ध, न्यास ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की है, जो निपटान के लिए लंबित है।

7.2 अप्रत्यक्ष कराधान

क) द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, चेन्नई ने 14.10.2014 दिनांकित कारण बताओ नोटिस के द्वारा ट्रस्ट से सवाल किया है कि उसे प्राप्त होने वाले गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क को "व्यापार या वाणिज्य हेतु समर्थन सेवा" क्यों ना माना जाए। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(104सी) जिसे धारा 65(105) (जेडजेडजेडक्यू) के साथ पढ़ा जाना चाहिए इसके अंतर्गत ₹79,68,11,936/- का दावा और आकलन वर्ष 2009–10 से जून 30, 2012 तक की अवधि हेतु धारा 75 के अंतर्गत ब्याज तथा धारा 76, 77, और 78 के अंतर्गत अर्थ दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में ट्रस्ट ने 17.12.2014 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया और 17.04.2015 को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थिति दर्ज की गई। इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

ख) सेवा टैक्स नियम, 1994 के नियम 5ए के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की अवधि के लिए कर निर्धारित ट्रस्ट को सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए चुना गया है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर सहायक आयुक्त, सेवा कर, मुम्बई ने 18.04.2016 दिनांकित कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ट्रस्ट से निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगे है।

ए) सिडबी से स्टाफ की प्रतिनियुक्ति को व्यापार समर्थन सेवा गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए और धारा 75 के अंतर्गत ₹52,156/- का सेवा कर ब्याज सहित दावा नहीं किया जाना चाहिए और उसकी वसूली भी नहीं होनी चाहिए;

बी) विकास आयुक्त से अप्रयुक्त अग्रिमों के अंश पर धारा 75 के अंतर्गत ब्याज सहित प्राप्त ₹1,74,760/- की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए

सी) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अंतर्गत अग्रिमों के समायोजित अंश पर विलंबित सेवा कर के प्रति विकास आयुक्त से प्राप्त राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।

डी) धारा 76 के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर सेवा कर की अदायगी में चूक और धारा 78 के

अंतर्गत सेवा कर से बचने हेतु करयोग्य गतिविधियों और करयोग्य सेवाओं की सहीं प्रकृति और मूल्य को दबाना व गलत घोषणा करने पर देय दंड राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।

इस मामले में कर–निर्धारिती न्यास ने पिछला उत्तर 23.08.2016 को प्रस्तुत की थी। इस संबंध में कोई भी आदेश/संप्रेषण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात, सेवाकर उपायुक्त ने दिनांक 24.03.2017 के पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण माँगा है कि क्या इसमें ऊपर खंड ख) के उप–खंड क) और ख) के अंतर्गत उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में 2015 के बाद समान कार्यप्रणाली जारी रखी गई। इसके प्रतियुत्तर के रूप में न्यास ने दिनांक 18.04.2017 के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत किया है।

ग) जम्मू और कश्मीर में स्थित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को प्रदत्त सेवाओं पर अदा सेवाकर की वापसी का दावा करने के लिए न्यास ने सहायक आयुक्त के समक्ष दिनांक 26.05.2015 को ₹1,07,71,826/- की वापसी का आवेदन दायर किया था, जिसे दिनांक 29.02.2016 को रद्द कर दिया गया है। न्यास ने उक्त आदेश के विरूद्ध दिनांक 29.04.2016 को एक अपील दायर की है। जिसका निपटान अब तक लंबित है।

8. ट्रस्ट ने बीमांकक की रिपोर्ट प्राप्ति की है जिसमें दी गई बकाया गारंटियों की देयता के बारे में अनुमान दिए गए हैं। बीमांकक ने ऐसे दावों के लिए प्रावधानों का मूल्यांकन किया है और दायर किए गए दावों तथा जारी गारंटियों के बीच अपवर्ती समीकरण को प्रयोग किया गया है। मार्च 31, 2017 को बकाया गारंटी राशियों पर बीमांकक की रिपोर्ट में बताए गए प्रावधानों की राशि ₹1,126.11 करोड़ है। ऐसे दावों के लिए प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1 अप्रैल को आरंभिक राशि शेष	17,34,61,54,693	17,18,62,39,847
घटाएं : वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावे	10,62,27,39,157	10,04,73,85,154
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	11,26,11,00,000	10,20,73,00,000
31 मार्च को इति शेष	17,98,45,15,536	17,34,61,54,693

ट्रस्ट द्वारा बैंक में गारंटी फीस की रकम पर गारंटी दी जाएगी।

9. विदेशी मुद्रा में व्यय का विवरण (वास्तविक आधार पर) (₹ में)

(₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
सहभागिता शुल्क	67,257	39,912
यात्रा और अन्य	3,21,989	1,62,650
सदस्यता शुल्क	—	63,820

10. जहां भी आवश्यक हुआ है, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनर्वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

==

कृते के. एस. संघवी एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
(आईसीएआई फर्म रजि. सं. 116714W)

(तपन संघवी, सदस्यता सं. 122244)
भागीदार

न्यासी मंडल की ओर से

ह/-
अजय के. कपूर
अध्यक्ष

स्थान : मुंबई
दिनांक : जुलाई 19, 2017

ह/-
(एस. एन. त्रिपाठी)
उपाध्यक्ष

ह/-
(पी. ए. मालगांवकर)
सदस्य सचिव

नोट :

नोट :

FSC
www.fsc.org
FSC® C084365
The mark of responsible forestry

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सिडबी

सी.जी.टी.एम.एस.ई. का पंजीकृत कार्यालय
1002–1003, नमन सेन्टर, दसवीं मंजिल, प्लोट क्र. सी-31,
जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉमप्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051
दूरभाष : +91-22-61437803, 04, 05, 06, 07 • फैक्स : +91-22-26541821
वेबसाइट : www.cgtmse.in

degree360solutios.com